

वित्त अधिनियम 2008 में आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 2(15) के संशोधन के बाद आस्थायित कर देयता (डीटीएल) का पुनःपरिकलन किया गया। लेखा विधि मानक 22(एएस-22) के अनुसार प्रकट किया गया है।

(IV) आयकर निर्धारण की स्थिति

वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 10(20) में संशोधन से पत्तनों को 'स्थानीय प्राधिकरण' के रूप में दी गई आयकर की छूट हटा दी गई तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 से पत्तन आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे के अंतर्गत आ गये। इस तरह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान जैसे अग्रिम कर अदा करना कर की लेखा परीक्षा करवाकर आयकर विवरणी दायर करना, स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), अनुवंगी (फ्रिज) लाभ कर इत्यादी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को लागू हो गये तथा समय समय पर विधिवत अनुपालन किया जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी)(i) के अंतर्गत जारी दि. 08.09.2009 के पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को दि. 01.04.2002 से 'धर्मार्थ संस्था' के रूप में प्रतिष्ठा है। इसके बाद कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक की सुधारित विवरणियों (रिटर्न) दायर की गई जिसमें 'धर्मार्थ संस्था' के रूप में पंजीकरण प्रदान होने के बाद धारा 11 के अंतर्गत 'आय में से छूट' के लाभ की अनुमति दे कर क्रमानुसार पूर्ण अदा किये गये सभी वर्षों के आयकरों की वापसी के दावे किये गये। तथापि कर निर्धारक अधिकारी ने कर आंकलन करके इन पाँच वर्षों के लिए 90.32 करोड की मांग की है। इसके विरुद्ध अपील दायर की गई है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक, कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) का कर-निर्धारण पूरा हो चुका है। तथापि कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 तक के मामले विभिन्न अपीलीय मंचों पर है।

वर्ष के दौरान मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है जिससे पोर्ट उपयोगकर्ता, कुछ पट्टेधारक तथा किरायेदार एवं बैंक/वित्तीय संस्थाओं को दि. 29.09.2014 से 31.03.2015 तक प्रभावी "कुछ नहीं", "कुछ नहीं" तथा 2.67% (क्रमशः) की दर से कर की कटौती के लिए प्राधिकृत किया है।

(V) लेखा-विधि कि उपचित प्रणाली को एकत्र बनाने के लिए संपदा किरायों को वित्तीय वर्ष 2014-2015 से दिये गये बिलों के अनुसार उपचित आधार पर लिया गया है।

(VI) लेखा-विधि मानक 15 के अनुसार तथा आयकर अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते समय सेवा-निवृत्ति के लाभों को वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया गया है।

- (i) एक अपरिवर्तनीय पेंशन निधि न्यास का गठन दि. 14.01.2004 को किया गया है तथा यह आयकर आयुक्त से अनुमोदित है। पेंशन निधि में शेष जमा राशि रु.6096.30 करोड है जबकि बीमांकिक मूल्यांकन राशि रु.8588.60 करोड है।
- (ii) एक अपरिवर्तनीय उपदान निधि न्यास का सृजन उपदान देयता की व्यवस्था के लिए किया गया है तथा निधि में शेष जमा राशि रु.481.57 करोड है जबकि बीमांकिक मूल्यांकन राशि रु.653.38 करोड है।

- (iii) दि. 31.03.2015 के अनुसार अवकाश नगदीकरण की देयता राशि रु.272.40 करोड है. दि. 31.03.2015 के अनुसार निधि में शेष जमा राशि रु. 90.00 करोड है. अवकाश नगदीकरण का व्यय वर्ष 2014-2015 के दौरान अवकाश नगदीकरण निधि से किया गया.
- (iv) कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि पत्तन के द्वारा संचालित की जाती है तथा निधि में दि. 31.03.2015 के अनुसार रु.1439.74 करोड की शेष जमा राशि थी.

(VII) नई पेंशन योजना

केन्द्र सरकार द्वार शुरु की गई नई पेंशन योजना दि. 01.01.2004 को या उसके बाद भरती हुए कर्मचारियों पर लागू है. मंडल ने दि. 13.09.2012 के न्यासी संकल्प सं. 88 के द्वारा नई पेंशन योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की है. कर्मचारी का अंशदान तथा नियोक्ता के बराबर के अंशदान को वर्ष 2014-2015 के दौरान नई पेंशन योजना प्राधिकरण को प्रेषित किया गया.

(VIII) कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान, निधि में किए गए कुल राशि के योगदान में से पोर्ट ने रु.3.27 करोड की राशि खर्च की. नए दिशा-निर्देशों अनुसार इस निधि में कोई योगदान नहीं किया गया क्योंकि इस निधि में पर्याप्त राशि शेष है.

(IX) पोर्ट ट्रस्ट संपत्तियों का कर-योग्य मूल्य

संपत्तियों के कर-योग्य मूल्य का निर्धारण वर्ष 1964-1969 से संबंधित है. इसपर अंतिम-निर्णय होने तक बृ.मुं.म.न.पा. का रु.31.38 करोड का दावा तथा अनुरक्षण लागत का मुं.पो.ट्र. के रु.32.64 करोड के दावे को हिसाब बही में नहीं लिया गया है.

(X) पूर्व-बीडीएलबी का मुं.पो.ट्र. के साथ विलयन

पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) द्वारा जारी दि. 09.01.2015 की अधिसूचना सं. एल बी - 13022/4/1997-एल-IV/डीओ(1) द्वारा, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है की गोदी श्रमिक (रोजगार विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के प्रावधान दि. 01.01.2015 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के संबंध में प्रभावी नहीं रहेंगे.

विलयन के परिणाम स्वरुप मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एवं बीडीएलबी का एक संयुक्त तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा तैयार किया गया है.

वर्ष 2013-14 तक का रु.1758.90 करोड का पूर्व-बीडीएलबी का संचित घाटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की आरक्षित निधि को प्रभारित की गई है यथा प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण निधि (आरआरएम) तथा वर्ष 2014-2015 का घाटा विकास ऋण अदायगी और आकस्मिकता निधि (डीआरएलसी) को प्रभारित की गई है. वर्ष के दौरान पूर्व बीडीएलबी को दिए गए अग्रिमों/ऋणों का समायोजन किया गया है. इसके परिणामस्वरुप मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आरक्षित निधि में रु.1922.80 करोड तक की कमी हो गई है.

दि. 01.01.2015 से पूर्व बीडीएलबी के पेंशन भुगतान के रु.19.78 करोड की राशि के व्यय को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन निधि न्यास की बही में समाविष्ट किया गया है.

(XI) आंतर-पत्तन ऋण

मंडल द्वारा दि. 08.06.2010 के न्यासी संकल्प सं.18 के अनुसार मंजूर तथा दि. 14.07.2010 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र अनुसार अनुमोदित, दि. 28.07.2010 को कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को रु.100 करोड का आंतर-पत्तन ऋण दिया गया. भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर अधिक 2.5% की फ्लोटिंग दर पर इस ऋण की कालावधि 6 वर्षों की है. दि. 18.02.2011 को आंतर-पत्तन ऋण की अदायगी के प्रति रु.50 करोड का आंशिक भुगतान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने किया था. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने सहमत शर्तों के अनुसार रु.14.36 करोड की मूल राशि तथा रु. 3.50 करोड की ब्याज प्रेषित की है. तदनुसार, वर्ष के अंत में रु.21.48 करोड की ऋण राशि बकाया है.

(XII) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ती योजना (एसव्हीआरएस) 2013 का प्रभाव

एसव्हीआरएस योजना के अंतर्गत 2594 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक निवृत्ती स्वीकार की है. वेतन एवं मजदूरी रु.128.31 करोड से षट चुकी है. पेंशन भुगतान एवं पेंशन रुपांतरण पर व्यय बढ़कर रु.184.96 करोड हो गया है. उपदान की भुगतान राशि भी रु.118.94 करोड से बढ़ गयी है.

(XIII) निधियों तथा निवेशों के बीच कमी

निधियों तथा निवेशों के बीच वास्तविक कमी निम्नानुसार है:

दि. 31.03.2015 के अनुसार निधियाँ	2270.31
दि. 31.03.2015 के अनुसार निवेश	1352.82
निधियों एवं निवेशों के बीच अंतर	917.49
कम:	
निवेश पर उपचित ब्याज	214.60
निवेश पर ब्याज पर स्रोतपर कर की कटौती	320.47
बैंकों में शेष जमा राशि	44.05
दि. 31.03.2015 के अनुसार निधियों तथा निवेशों के बीच वास्तविक कमी	338.37

यह वास्तविक कमी व्यापार में चालू परिसंपत्तियों के रूप में रही है. पत्तन ने कभी भी किसी परियोजना को वित्तपोषण तथा कार्यशील पूँजी के लिए उधार धनराशि नहीं ली है.

(XIV) गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ

रु.3404.64 करोड के निवेश दिखाये गये है. इसमें एमपीइबी (रु.50 करोड) और यूपीसीएसएमएफ (रु.4 करोड) के बाँडों में कुल मिलाकर रु.54 करोड के निवेश का

समावेश है. इन संगठनों ने मूल राशि के साथ ही ब्याज का भी भुगतान नहीं किया है. इन चूककर्ता संगठनों से कुल मिलाकर प्राप्त योग्य ब्याज रु.98.06 करोड है. इन निवेशों को तुलनपत्र की अनुसूची III में समाविष्ट किया गया है. इन देय राशियों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरु की गयी है. हालाँकि यह निवेश वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान परिपक्व हो चुके है, वर्ष 2011-12 तक के ब्याज को प्रतिभूतियोंकी तरह समान दर से बहियों में परिकलित किया गया है, जबकि वर्ष 2012-13 से ब्याज 0.01% की नाममात्र दर से परिकलित की गयी है.

उपरोक्त गैर निष्पाद्यक परिसंपत्तियों (एनपीए) में से एमपीइबी के रु. 30 करोड के बॉड भविष्य-निर्वाह निधि को आबंटित किये गये. उस पर रु.43.53 करोड की उपचित ब्याज को अलग रखा गया और भविष्य निधि के अंशदाताओं के खातों मे वितरित/जमा नहीं किया गया.

(XV) सक्रिय इस्तेमाल से हटा दी गयी परिसंपत्तियाँ

निम्नलिखित परिसंपत्तियाँ सक्रिय इस्तेमाल से हटा दी गयी है और उनके अंतिम निपटान के लिए कार्रवाई की जा रही है.

अनु. क्र.	परिसंपत्ति का नाम	31.03.2015 को हासिल- मूल्य (रु. करोड में)
1	स्प्लिट हॉपर बार्ज क्र. 13	कुछ नहीं

(XVI) पिछले वर्ष के ऑकडे तुलनात्मक प्रयोजन हेतु दर्शाये गये है.

(XVII) अनुसूचियाँ तुलन-पत्र और राजस्व लेखा के एक अभिन्न अंग के रूप में होती है.

हस्ता.

हस्ता.

आर जयचंद्रन
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी
30 मई 2015.

रवि एम. परमार
अध्यक्ष
30 मई 2015.

**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के
लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

**AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE
MUMBAI PORT TRUST FOR THE YEAR ENDED
31.03.2015**

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कि गई कार्रवाई नोट.

हमने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की 31 मार्च 2015 के संलग्न तुलनपत्र और उसी दिन को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणोंकी जिम्मेदारी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है.

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लेखा पध्दती पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों का समावेश है जो सिर्फ बेहतर लेखा पध्दति के अनुपालन, वर्गीकरण, लेखा मानक तथा प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में है. विधि, नियम तथा विनियम (उपयुक्तता तथा नियमितता) के अनुपालन और सक्षमता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि के संबंधी वित्तीय लेन-देनों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि है, जाँच रिपोर्ट/ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट कि गई हैं.

3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है. इन मानकों में यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित तथा संपन्न करें जिससे हमें पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण व महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में दिए गए प्रकटीकरण और राशियों के समर्थन में प्रस्तुत किए गए सबूतों को परीक्षण आधार पर जाँच करने का समावेश है. लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा पध्दति सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रावकलनों के निर्धारण एवं साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति के मूल्यांकन का भी समावेश है. हम विश्वास रखते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए पर्याप्त आधार देती है.

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- (i) हमें सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारे लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए हमारे अधिकतम विश्वास और जानकारी के लिए आवश्यक थी;
- (ii) इस रिपोर्ट के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के अधीन न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं;
- (iii) हमारी राय के महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के अधीन आवश्यकता के अनुसार लेखा बुकों को और अन्य संबंधित रेकार्ड को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उचित रूप में रखा गया है, जहाँ तक ऐसे बुकों की हमारी जाँच का संबंध है;
- (iv) हम आगे रह रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. तुलन पत्र.

ए.1 प्रारक्षित और अधिशेष रु. 3594.04 करोड़

महापत्तनों के वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य रूप रेखा के ढाँचे के अनुसार, लाभ और हानि लेखा कि किसी भी नामे शेष राशी को अनिर्दिष्ट प्रारक्षित से काटा जाना चाहिए किसी भी अनिर्दिष्ट प्रारक्षितों में कुछ भी शेष न होने कि स्थिति में, ऐसे नामे शेष को तुलन पत्र के परिसंपत्ति कि तरफ दिखाया जाना चाहिए.

(i) पूर्व मुंबई डॉक लेबर बोर्ड के विलय होने पर रु.1758.90 करोड़ के हुये घाटे को पुन्जिगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और, आधुनिकीकरण निधिमे से समयोजन किया गया इस के परिणाम स्वरुप पुन्जिगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण निधिको कम करके बताया गया तथा घाटे को रु. 1758.90 करोड़ कम कर के बताया गया.

(ii) रु. 154.81 करोड़ के निवल घाटे को विकास के ऋणो, ऋणोकी अदायगी और आकस्मित व्यय निधिमे से समायोजन किया गया. इस के परिणाम स्वरुप विकास के ऋणो, ऋणोकी अदायगी और आकस्मित व्यय निधिको रु. 154.81 करोड़ से कम करके बताया गया तथा सामान्य प्रारक्षित को रु. 41.49 करोड़ अधिक बताया गया तथा घाटे को रु.113.32 करोड़ कम करके बताया गया.

ए.2 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान - 4559.68 करोड़ रु.

लेखो पर टिप्पणियों की टिप्पणी क्र. 1 (डी) के साथ पठित

लेखा मानक 15 के अनुसार (कर्मचारी लाभ) जहाँ सेवा-निवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास का सृजन कर उसके जरिए निधि बद्ध की गई थी, वर्ष में उठाया गये व्यय को बीमाकिक आधार पर तय किया जाना चाहिए. बीमाकिक रिपोर्ट में नियोक्ता द्वारा वार्षिक आधार पर मूल्यांकन अवधि के दौरान किये जानेवाले अंशदान को विनिर्दिष्ट किया है. बीमाकिक रिपोर्ट मे रिपोर्ट की गई इस वार्षिक अंशदान को प्रत्येक वर्ष लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाना आवश्यक था. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अवकाश नगदीकरण निधि का बीमाकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार (भूतपूर्व बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड के देयता सहित) जो भारतीय जीवनबीमा निगम द्वारा निम्नानुसार दिए गए विवरण हैं, कोई प्रावधान नहीं दिया है:

(रु. करोड़ में)

अनु. क्र.	निधि का नाम	दि. 31 मार्च 2015 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार बीमाकिक देयता	दि. 31 मार्च 2015 के अनुसार निधि शेष	घाटा
1.	पेंशन निधि	8588.60	6069.30	2519.30
2.	उपदान निधि	660.10	481.57	178.53
3.	अवकाश नगदीकरण निधि	363.05	90.00	273.05
	कुल	9611.75	6640.87	2970.88

इसके परिणामस्वरुप वर्तमान देयताएँ तथा घाटा रु. 2970.88 करोड़ कम दिखाया गया. इसके परिणाम स्वरुप लेखो पर टिप्पणियों की टिप्पणी क्र.1(डी) पर दिये गये आकडो को बदलने की आवश्यकता है.

ए.3 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ - ऋण और अग्रिम

विभिन्न अग्रदायी खाता धारकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार लेखों में दर्शायी गयी रु.2.27 करोड़ के विरुद्ध रु. 0.58 करोड़ की अग्रदायी रोकड़ है. इस के परिणाम स्वरूप हाथ में रोकड़ को अधिक बताया गया तथा घाटे को रु.1.69 करोड़ से कम कर के बताया गया है.

बी. लाम और हानी लेखा

बी. 1. आस्थगित कर 70.49 करोड़

इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान पोर्ट द्वारा मान्य रु.70.49 करोड़ के रूप में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का समावेश है. लेखा पध्दती मानक 22 (आय पर करों की लेखा पध्दती) के अनुसार, आस्थगित कर परिसम्पत्ति को केवल उसी हद तक मान्यता दी जाएँ जहाँ तक यथोचित निश्चितता हो जाय कि भविष्य में पर्याप्त आयकर योग्य आम उपलब्ध होगी जिससे की उगाही हो सकेगी. मानक में आगे प्रावधान दिया गया है कि निश्चितता व यथोचित स्तर सामान्यतः उद्घम के पिछले अभिलेखों का परिक्षण कर तथा भविष्य के लाभों का उचित आकलन करके हासिल किया जा सकता है.

जैसे कि मुपोट्र ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान घाटा उठाया है तथा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को प्रस्तुत आय और व्यय लेखा के विवरण के अनुसार वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए प्रक्षेपित घाटा क्रमशः रु. 416.50 करोड़ तथा रु. 435.59 करोड़ है. वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान उठाये गये घाटों तथा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के प्रक्षेपित घाटों को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की मान्यता नियमानुसार नहीं है. इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया तथा घाटे को रु. 70.49 करोड़ कम करके बताया गया है.

बी.2 वित्त तथा फुटकर आय

बी.2.1. चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज रु. 196.77 करोड़

इसमें चिन्हित निधियों पर उपार्जित ब्याज रूप में रु. 196.77 करोड़ का समावेश है. महापत्तनों की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार विशिष्ट निधियों के लिए चिन्हित निवेशों पर उपार्जित आय को संबंधित निधि के खाते में जमा किया जाना चाहिए तथा संबंधित निधि से जुड़े व्यय को संबंधित निधि के खाते के नाम लिखा जाना चाहिए जैसे कि मु.पो.ट्र. ने चिन्हित निधियों पर उपार्जित ब्याज को लाभ तथा हानि लेखों में जमा किया चिन्हित निधियों तथा वर्ष के घाटे को रु. 196.77 करोड़ को कम करके दिखाया गया है.

सी. लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

- (i) महापत्तनों की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार ठेकों की अनुमानित राशि, जिसे पुँजिगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और उसके लिए प्रावधान नहीं है, इसे लेखों में प्रकट करना चाहिए. तथापि, मुबई पोर्ट ट्रस्ट ने रु101.90 करोड़ की ठेकों की अनुमानित राशि को प्रकट नहीं किया है, जिसे पुँजिगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और दि. 31 मार्च 2015 के अनुसार लेखों में प्रावधान नहीं है

- (ii) सेवा कर आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 के मांग किए गये रु. 14.51 करोड के सेवा कर को भी प्रासंगिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है
- (iii) लेखों पर टिप्पणियों कि टिप्पणि क्र.XIV के संदर्भ पर ध्यानाकर्षित किया जाता है जिसमें ऐसा घोषित किया गया है कि दि 31 मार्च 2015 को रु. 3404.64 करोड निवेश किए गये थे जब कि दि 31 मार्च 2015 को रु. 2706.67 करोड का वास्तविक निवेश किया गया है.

डी. लेखा परीक्षा टिप्पणियों का लेखों पर प्रभाव:

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गयी टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियाँ रु. 72.18 करोड से अधिक बतायी गईं, देयताएँ रु.5039.87 करोड से कम बतायी गईं हैं और घाटा रु. 5112.05 करोड से कम बताया गया है. आगे, रु. 101.90 करोड की टेकरों की अनुमानित राशि को जिसे पूँजीगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और जिसका प्रावधान नहीं है सेवा कर आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 में मांग किये गये रु. 14.51 करोड के सेवा कर को भी प्रासंगिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है.

(v) पिछले परिच्छेदों में हमारी टिप्पणियों पर निर्भर करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि, इस रिपोर्ट के संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है.

(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा पध्दति नीतियों और लेखाओं पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों और उपर उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक I में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन भारत में सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखा पध्दति सिध्दांतों के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

(ए) जहाँ तक यह 31 मार्च 2015 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कर्जों की स्थिती के तुलन-पत्र के संबंधित है, और

(बी) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के घाटेके लाभ और हानि लेखों से संबंधित है.

5. दि. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दर्शाने वाला लेखों की पुनरीक्षा अनुलग्नक-II में दी गयी है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(रूप राशी)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक
लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य
स्थान मुंबई.

दिनांक 30 सितम्बर 2015

अनुलग्नक -I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

पोर्ट ने घोषित किया था कि आंतरिक लेखा परीक्षा को आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध को सौंपा गया है तथापि वर्ष 2014-15 के लिए, आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध द्वारा कोई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के न होने से, पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

पोर्ट की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जैसे (i) विविध देनदारों तथा ऋणों एवं अग्रिमों की शेषराशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है; (ii) उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम को बगैर समाधान के विविध जमा राशि के रूप में रखा जाता है; (iii) महापत्तों की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार विविध देनदारों का अवधि-वार विश्लेषण नहीं किया गया है. (iv) आवधिक रूप से अग्रदम शेष राशियों की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है; (v) अग्रदम रोकड बही के सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है; (vi) अग्रदम रोकड बही में पेन्सिल से प्रविष्टियां की गई हैं.

3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

पोर्ट द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन पाँच वर्षों में एक बार किया जाता था. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने सूचित किया था कि वर्ष 1969 तथा 1970 में न्यासी मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुंपोट्र की परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष सत्यापन पाँच वर्षों में एक बार किया जाता था तथा 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 की अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन हाथ में है. मुंपोट्र द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है जैसे कि (i) वर्ष 1969 तथा 1970 में न्यासी मंडल द्वारा लिया गया निर्णय काफी पुराना तथा इसकी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव आवश्यक है तथा (ii) 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 की अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन 2015-16 में नहीं किया जा सकता जैसे कि अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है.

4. माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2014-15 के लिए सभी माल सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है.

हस्ताV-

(सी. एस. पंवार)

उप निदेशक

30 सितंबर 2015

मुंबई.

अनुलग्नक II

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा मुंबई पोर्ट के लेखों की पुनरीक्षा
(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समाविष्ट लेखा परीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में न लेते हुए लेखों की पुनरीक्षा तैयार की गयी)

1. वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के पिछले तीन वर्षों के लिए स्थूल शीर्षों के संबंध में पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी.

वर्ष	(रु. करोड़ों में)		
	2012-13	2013-14	2014-15
(ए) देयताएँ			
(i) पूँजी प्रारक्षित	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) अन्य प्रारक्षित	4477.03	4249.09	2327.03
(iii) चालू देयताएँ और प्रावधान	4385.62	4411.82	4559.68
(iv) आस्थगित कर देयता	9.01	-74.38	-144.88
कुल	9926.22	9841.28	8008.84
(बी) परिसंपत्तियाँ			
(i) अचल परिसंपत्तियाँ	1428.99	1483.87	1643.25
घटाएँ: मूल्याहान	913.83	972.34	990.32
निवल: अचल परिसंपत्तियाँ	515.16	511.53	652.93
जोड़े: कार्य-प्रगति पर	539.40	743.22	614.08
कुल	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) निवेश	4470.78	3404.64	2706.67
(iii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	4400.88	5012.05	3805.59
(iv) संचित घाटा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v) फुटकर व्यय	कुछ नहीं	169.84	229.57
(vi) आस्थगित कर संपत्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल	9926.22	9841.28	8008.84
सी. कार्यकारी पूँजी*	15.26	600.23	-754.09
डी. निवल मूल्य**	5531.59	5503.84	3594.04
ई. नियोजित पूँजी***	530.42	1111.76	-101.16
एफ. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (%)****	-3.13	-1.28	137.75
जी. नियोजित पूँजी (कार्य-प्रगति-पर सहित)	1069.82	1854.98	512.92
एच. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (कार्य-प्रगति-पर सहित)(%)	-1.55	-0.77	-27.17

- * कार्यकारी पूँजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ तथा प्रावधान घटाने पर शेष राशि दर्शाती है.
- ** निवल मूल्य - पूँजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि दर्शाती है.
- *** कार्यकारी पूँजी - निवल अचल परिसंपत्तियाँ अधिक कार्यकारी पूँजी राशि दर्शाती है.
- **** नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ - कुल अधिशेष से नियोजित पूँजी का प्रतिशत दर्शाता है.

नोट: अन्य प्रारक्षित में सामान्य प्रारक्षित, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट शताब्दि संस्मरण निधि तथा विकास ऋणों की अदायगी तथा आकस्मिक व्यय की निधि पूँजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण निधि, आग तथा मोटर बीमा निधि, यध्व स्मारक निधि तथा कर्मचारी कल्याण निधि दर्शाते हैं.

2. कार्य परिणाम

31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार किया गया है.

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
(प) राजस्व	1154.44	1304.88	1399.78
(i) परिचालन आय	448.40	343.23	226.63
(ii) अपरिचालन आय	1602.84	1648.11	1626.41
कुल			
(बी) व्यय			
(i) परिचालन व्यय	945.09	965.82	1068.10
(ii) अपरिचालन व्यय	728.26	799.07	788.31
कुल	1673.35	1764.89	1856.41
करपूर्व लाभ	-70.51	-116.78	-230.00
(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा	-16.60	-14.19	-139.35
(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित	25.96	19.19	15.46
(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित	-42.56	-33.38	154.81
(एफ) निवल अधिशेष / घाटे का प्रतिशत			
(i) परिचालन आय से	-1.44	-1.09	- 9.96
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	-3.22	-2.77	- 21.34
(iii) निवल मूल्य से	-0.30	-0.26	- 3.88

3. अनुपात विश्लेषण (नकदी और संपन्नता)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की नकदी तथा संपन्नता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात तथा वित्तीय क्षमता निम्नानुसार दर्शायी गयी है.

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ	1.00	1.14	0.83
तत्काल परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ (तत्काल परिसंपत्तियों विविध देनदार, पोर्ट को देय ब्याज, नकदी तथा बैंक में जमा राशि दर्शायी जाती है)	0.67	0.74	1.10
विविध देनदारों से परिचालन आय	1.61	1.50	1.54
कर पूर्व कुल निवल घाटे के प्रतिशत से			
(i) परिचालन आय			
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियाँ	-6.11	-8.95	-16.43
(iii) निवल मूल्य संपत्ति	-13.69	-22.83	-35.23
	-1.27	-2.12	-6.40

हस्ता/-

(सौ.एस. पंवार)

उप निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 30 सप्टेंबर 2015.

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Mumbai Port Trust, Mumbai for the year ended 31 March 2015

We have audited the attached Balance Sheet of Mumbai Port Trust (MbPT) as at 31 March 2015 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102(2) of Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Mumbai Port Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963;
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Mumbai Port Trust as required under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Reserves and Surplus - Rs.3594.04 crore

As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, any debit balance of the Profit and Loss Account should be deducted from the unspecified reserves. In the absence of any balance in any of the unspecified reserves, such debit balance should be shown in the asset side of the Balance Sheet.

(i) The loss on merger of Ex-Bombay Dock Labour Board amounting to Rs.1758.90 crore was adjusted from Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets. This has resulted in understatement of Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets and understatement of deficit by Rs.1758.90 crore.

(ii) Net deficit of Rs.154.81 crore was adjusted from Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies. This has resulted in understatement of Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies by Rs.154.81 crore, overstatement of General Reserve by Rs.41.49 crore and understatement of deficit by Rs.113.32 crore.

A.2 Current Liabilities and Provisions - Rs.4559.68 crore

Read with Note No. 1(d) of Notes to Accounts

As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits) where the liability for retirement benefits was funded through creation of a trust, the cost incurred for the year should be determined actuarially. The Actuary's Report specified the contribution to be made by the employer on annual basis during the valuation period. This annual contribution reported in the Actuary's Report was required to be charged to Profit and Loss Account each year. MbPT has not provided for Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as per the Actuarial Valuation Report provided by the Life Insurance Corporation of India as per details given below:

				Rs in crore
Sr. No.	Name of the Fund	Actuarial Liability as per LIC as on 31 March 2015	Fund Balance as on 31 March 2015	Deficit
1.	Pension Fund	8588.60	6069.30	2519.30
2.	Gratuity Fund	660.10	481.57	178.53
3.	Leave Encashment Fund	363.05	90.00	273.05
	Total	9611.75	6640.87	2970.88

This has resulted in understatement of Current Liabilities and loss by Rs.2970.88 crore. Consequently, the figures given in Note No.1(d) of Note to Accounts required to be changed.

A.3 Current Assets, Loans and Advances
Cash Balance on Hand – Rs.2.27 crore (Schedule V)

Imprest cash as per details furnished by different imprest account holders is Rs.0.58 crore against Rs.2.27 crore depicted in the accounts. This has resulted in overstatement of Cash in Hand and understatement of loss by Rs.1.69 crore.

B. Profit and Loss Account

B.1 Deferred Tax – Rs.70.49 crore

This includes Rs.70.49 crore being Deferred Tax Assets recognised by the Port during 2014-15. According to Accounting Standard 22 (Accounting for Taxes on Income), deferred tax asset should be recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which tax can be realised. The standard further provided that the reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past records of the enterprise and by making realistic estimates of the profits for the future.

As MbPT has incurred losses during 2012-13 to 2014-15 and as per the statement of Income and Expenditure Account submitted to Tariff Authority for Major Ports, the projected loss for the years 2015-16 and 2016-17 is Rs.416.50 crore and Rs.435.59 crore respectively. In view of the losses incurred during 2012-13 to 2014-15 and projected loss for the years 2015-16 and 2016-17, recognition of deferred tax asset is not in order. This has resulted in overstatement of deferred tax asset and understatement of deficit by Rs.70.49 crore.

B.2 Finance and Miscellaneous Income

B.2.1 Interest earned on earmarked funds – Rs.196.77 crore

This includes Rs.196.77 crore being the interest earned on earmarked funds. As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, income accruing on investments which are earmarked against specific funds should be credited to the respective fund account and the expenditure relating to respective fund shall be debited to the respective fund account. As MbPT credited the interest earned on earmarked funds to Profit and Loss Account, the earmarked funds and deficit for the year are understated by Rs.196.77 crore.

C. Notes to Accounts

(i) As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for should be disclosed in the accounts. However, MbPT has not disclosed Rs.101.90 crore being the estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for as on 31 March 2015 in the accounts.

(ii) Service Tax of Rs.14.51 crore demanded by the Commissioner of Service Tax in April 2013 has not been disclosed as contingent liability.

(iii) A reference is invited to Note No.XIV of Notes to Accounts wherein it is stated that the investment as on 31 March 2015 is Rs.3404.64 crore whereas the actual investment as on 31 March 2015 is Rs.2706.67 crore.

D. Effect of Audit Comments on Accounts

The net impact of the comments given in preceding paras is that the assets are overstated by Rs.72.18 crore, liabilities are understated by Rs.5039.87 crore and deficit is understated by Rs.5112.05 crore. Further, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for amounting to Rs.101.90 crore has not been disclosed. Service Tax of Rs.14.51 crore demanded by the Commissioner of Service Tax in April 2013 has also not been disclosed as contingent liability.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;


(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure-I** to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to Balance sheet, of the state of affairs of Mumbai Port Trust Board at 31 March 2015; and

(b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account of the deficit for the year ended on that date.

5. A Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port Trust for the last three years ended 31 March 2015 is given in **Annexure -II**.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India



(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place: Mumbai,

Date: 30 September 2015.

Annexure I

1. Adequacy of Internal Audit System

It was stated by the Port that the internal audit was entrusted to the Internal Audit Wing. However, no Internal audit report was submitted by the Internal Audit Wing for the year 2014-15. In the absence of any internal audit report, the adequacy of Internal Audit System in the Port cannot be commented.

2. Adequacy of Internal Control System


The Internal Control System of the Port requires strengthening as (i) there was no system of obtaining balance confirmation in respect of Sundry Debtors and Loans and Advances; (ii) advance received from customers were kept as Miscellaneous Deposit without reconciliation; (iii) age-wise analysis of Sundry Debtors was not carried out as provided in the Common Framework of Financial Reporting for Major Ports; (iv) there was no system of obtaining confirmation of imprest balances periodically; (v) there was no system of verification of Imprest Cash Book; and (vi) entries in the Imprest Cash Book are made with pencil;

3. Physical Verification of Fixed Assets

As per the policy followed by the Port, Physical Verification of Fixed Assets was carried out once in five years. It was stated by MbPT that physical verification of MbPT's assets was done once in five years in terms of decision taken by the Board of Trustees in 1969 and 1970 and physical verification for the period from 1 April 2008 to 31 March 2013 was in hand. The reply of MbPT is not acceptable as (i) the decision taken by the Board of Trustees in 1969 and 1970 was quite outdated and required to be changed to increase the periodicity and (ii) physical verification for the period from 1 April 2008 to 31 March 2013 cannot be carried out 2015-16 as the period is already over.

4. System of Physical Verification of Inventory

Physical verification of all the inventories has not been carried out for the year 2014-15.


(C. S. Panwar)
Deputy Director

Place: Mumbai,
Date: 30 September 2015.

Annexure -II

Review of Accounts of Mumbai Port Trust for the year ended 31 March 2015 by the Comptroller and Auditor General of India.

(This Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

Financial position of the Port Trust under the broad headings for the three years ended 31 March 2015 was as follows:

Rs. in crore			
Year	2012-13	2013-14	2014-15
(A) Liabilities			
(i) Capital Reserve	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) Other Reserve	4477.03	4249.09	2327.03
(iii) Current Liabilities and Provisions	4385.62	4411.82	4559.68
(iv) Deferred Tax Liability	9.01	-74.38	-144.88
Total	9926.22	9841.28	8008.84
(B) Assets			
(i) Fixed Assets (Gross Block)	1428.99	1483.87	1643.25
Less: Depreciation	913.83	972.34	990.32
Net Fixed Assets	515.16	511.53	652.93
Work-in-Progress	539.40	743.22	614.08
Total	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) Investments	4470.78	3404.64	2706.67
(iii) Current Assets	4400.88	5012.05	3805.59
(iv) Accumulated Deficit	Nil	Nil	Nil
(v) Misc. Expenditure	Nil	169.84	229.57
(vi) Deferred Tax Asset	Nil	Nil	Nil
Total	9926.22	9841.28	8008.84
(C) Working Capital *	15.26	600.23	-754.09
(D) Net worth**	5531.59	5503.84	3594.04
(E) Capital Employed***	530.42	1111.76	-101.16
(F) Return on Capital Employed (%) ****	-3.13	-1.28	137.75
(G) Capital Employed (including Work-in-Progress)	1069.82	1854.98	512.92
(H) Return on Capital Employed (including Work-in-Progress) (%)	-1.55	-0.77	-27.17

* Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities and provisions.

** Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves.

*** Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital (worked out as indicated above*).

**** Return on Capital Employed percentage of Total Surplus to Capital Employed.

Note: Other Reserve represents General Reserve, MbPT Centenary Commemoration Fund, and Fund for Development, Repayment of Loan and Contingencies, Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets, Fire and Motor Insurance Fund, War Memorial Fund and Employees Welfare Fund.

2. Working results

The working results of Mumbai Port Trust for the last three years ending 31 March 2015 are summarised below:


	Rs. in crore		
Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
(A) Revenue			
(i) Operating Income	1154.44	1304.88	1399.78
(ii) Non-Operating Income	448.40	343.23	226.63
Total	1602.84	1648.11	1626.41
(B) Expenditure			
(i) Operating Expenditure	945.09	965.82	1068.10
(ii) Non-Operating Expenditure	728.26	799.07	788.31
Total	1673.35	1764.89	1856.41
Profit before tax	-70.51	-116.78	-230
(C) Total Surplus/Deficit before appropriation	-16.60	-14.19	-139.35
(D) Less: Mandatory appropriation transfer to Reserve Funds	25.96	19.19	15.46
(E) Net Surplus/Deficit transferred to General Reserve Fund	-42.56	-33.38	-154.81
(F) Percentage of Total Surplus/Deficit to:			
(i) Operating Income	-1.44	-1.09	-9.96
(ii) Net Fixed Assets	-3.22	-2.77	-21.34
(iii) Net Worth	-0.30	-0.26	-3.88

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of Mumbai Port Trust are shown below:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Current Assets to Current Liabilities	1.00	1.14	0.83

Quick Assets to Current Liabilities (Quick Assets represent Sundry Debtors, interest due to port, cash and bank balances)	0.85	0.92	1.10
Sundry Debtors to Operating Income	1.61	1.50	1.54
Percentage of Net Deficit before tax to:			
(i) Operating Income	-6.11	-8.95	-16.43
(ii) Net Fixed Assets	-13.69	-22.83	-35.23
(iii) Net Worth	-1.27	-2.12	-6.40



(C. S. Panwar)
Deputy Director

Place: Mumbai,
Date: 30 September 2015.

**31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कि गई
कार्रवाई टिप्पणी**

**ACTION TAKEN NOTE ON THE AUDIT REPORT
ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT
TRUST FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

वित्त विभाग

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर कि गई कार्रवाई नोट.

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	कार्रवाई नोट
<p>ए. तुलन पत्र.</p> <p>ए.1 प्रारक्षित और अधिशेष रु. 3594.04 करोड़</p> <p>महापत्तनों के वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य रूप रेखा के ढाँचे के अनुसार, लाभ और हानि लेखा कि किसी भी नामे शेष राशी को अनिर्दिष्ट प्रारक्षित से काटा जाना चाहिए किसी भी अनिर्दिष्ट प्रारक्षितों में कुछ भी शेष न होने कि स्थिति में, ऐसे नामे शेष को तुलन पत्र के परिसंपत्ति कि तरफ दिखाया जाना चाहिए.</p>	<p>ए. तुलन पत्र.</p> <p>ए.1 प्रारक्षित और अधिशेष रु. 3594.04 करोड़</p> <p>महापत्तनों के वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे (सीएफएफआर) के अनुसार, यह भी उल्लिखित है की : प्रारक्षित धन उपार्जन, प्राप्तियों अथवा उद्यम के अधिशेष का वह हिस्सा है (चाहे पुंजीगत हों अथवा राजस्व) जिसका प्रबंधन ने अचल परिसंपत्तियों के मूल्य खस अथवा घटाव के लिए अथवा ज्ञात देयता के प्रावधान के अलावा सामान्य अथवा विशिष्ट प्रयोजन के लिए विनियोजन किया है, प्रारक्षित को मोटे तौर पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है:</p> <p>(ए) प्रारक्षित पूंजी</p> <p>(बी) सामान्य प्रारक्षित</p> <p>(सी) सांख्यिक प्रारक्षित</p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे में प्रारक्षित निधि को विशिष्ट अथवा अनिशिष्ट रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है. प्रारक्षित निधि का प्रयोजन सामान्य अथवा विशिष्ट हों सकता है. निधियों का नाम बिलकुल उसी प्रयोजन का संकेत देता है जिसके लिए उन्का सृजन किया गया है तथा निधियों के धन को केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए.</p>
<p>(i) पूर्व मुंबई डॉक लेबर बोर्ड के विलय होने पर रु.1758.90 करोड़ के हुए घाटे को पुंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण निधिमें से समयोजन किया गया इस के परिणम स्वरुप पुंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण निधिको कम करके बताया गया तथा घाटे को रु. 1758.90 करोड़ कम कर के बताया गया.</p>	<p>(i) टिप्पणी सही नहीं है. पूर्व-बीडीएलबी द्वारा संचित हानि की क्षतिपूर्ति करने के जवाब के पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने दि. 21 मई 2006 कि पत्र सं. एलबी-13022/4/97-एल-IV के द्वारा, सूचना भी दी कि बीडीएलबी एक सांख्यिक निकाय है, वह अपने स्रोतों के उपयोग से अपनी निधियाँ उभारने के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार है तथा योजना की परिधि में अन्य बातों के साथ वह देय कर्ज का पुगतान के लिए एवं अपने कामगारों और कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति लाभ सहित कामगारों तथा कर्मचारियों की देनदारी के लिए उसका प्रयोग कर सकता है.</p> <p>तदनुसार सुधारित बजट प्रावकल्पन 2014-2015 तैयार करते समय पुंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण (आरआरएम) की निधि में से दि. 31.03.2014 तक बीडीएलबी के संचित घाटे के 1500 करोड़ निम्बलने का प्रावधान किया है. मंत्रालय द्वारा सुधारित बजट 2014-2015 को पोत परिवहन मंत्रालय के दि. 27 जनवरी 2015 के पत्र सं. पीडी-2015/3/2014-पीडी.III के द्वारा अनुमोदन दिया गया है.</p> <p>अतः दि.31.03.2014 के अनुसार प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन</p>

	<p>और आधुनिकीकरण (आरआरएम) निधि से रु. 1758.90 करोड़ के वास्तविक घाटे के समायोजित किया गया था. प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण (आरआरएम) निधि की निधि और निवेश के बीच रु. 2259.68 करोड़ का वास्तविक अंतर था. अतः प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण (आरआरएम) निधि के निवेशों के आहरण/अंतरण का प्रश्न ही नहीं है. मंडल ने वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखों को उनकी दि. 30.05.2015 की न्यासी संकल्प सं. 14 के द्वारा अनुमोदन दिया है. पूंजीगत परिस्थितियों के प्रतिस्थापन, पुनःस्थापन तथा आधुनिकीकरण निधि को कुछ भी कम कर नहीं बताया गया तथा घाटे को रु. 1758.90 करोड़ से कम करके नहीं बताया गया.</p>																
<p>(iii) रु. 154.81 करोड़ के निवल घाटे को विकास के ऋणों, ऋणोक्ति अदायगी और आकस्मिक व्यय निधिमें से समायोजन किया गया. इस के परिणाम स्वरूप विकास के ऋणों, ऋणोक्ति अदायगी और आकस्मिक व्यय निधि को रु. 154.81 करोड़ से कम करके बताया गया तथा सामान्य प्रारक्षित को रु. 41.49 करोड़ अधिक बताया गया तथा घाटे को रु. 113.32 करोड़ कम करके बताया गया.</p>	<p>(ii) टिप्पणी सही नहीं है. विकास, ऋणों की अदायगी और आकस्मिक व्यय निधि (डीआरएलसी) के नाम से बिलकुल उसी प्रयोजन का संकेत देता है जिसके लिए इसका सृजन किया गया है तथा निधि में धन को केवल उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है. डीआरएलसी की निधि को पोर्ट के विकास के लिए आवश्यक निवेश का प्रावधान करने साथ ही पूंजीगत निवेशों के लिए, लिए गए ऋणों को लौटाने तथा अन्य किसी भी आकस्मिक व्यय के प्रावधान के लिए रखा गया है. आकस्मिकताओं में घाटा/हानि का भी समावेश है. वर्ष 1991 के न्या. सं. सं. 33 के अधीन लिए गये निर्णय के अनुसार नियोजित पूंजी पर 3% के अतिरिक्त जेएनपीटी द्वारा कर्ज अदायगी की समान किमतों को भी सामान्य प्रारक्षित से डीआरएलसी निधि को अंतरित किया जा रहा है जिससे इस निधि का निर्माण कर भविष्य में विकास के लिए तथा किसी भी आकस्मिकता के लिए प्रावधान हो. सामान्य प्रारक्षित निधि में अब केवल अस्पष्ट अधिशेष का विनियोजन किया जाता है. इसे इन निधियों के सृजन होने से ही अपनाया गया है, अतः डीआरएलसी को रु. 113.32 करोड़ से कम करके तथा सामान्य प्रारक्षित निधि को रु. 41.49 करोड़ अधिक करके नहीं बताया गया है.</p>																
<p>ए.2 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान - 4559.68 करोड़ रु. लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी क्र. 1 (डी) के साथ पठित लेखा भाग 15 के अनुसार (कर्मचारी लाभ) जहाँ सेवा-निवृत्ति लाभों की देयता एक न्यास का सृजन कर उसके जरिए निधि बंध की गई थी, वर्ष में उठाया गये व्यय को बीमाविक्रि आधार पर तय किया जाना चाहिए. बीमाविक्रि रिपोर्ट में नियोजिता द्वारा वार्षिक आधार पर मूल्यांकन अवधि के दौरान किये जानेवाले अंशदान को विनिर्दिष्ट किया है. बीमाविक्रि रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई इस वार्षिक अंशदान को प्रत्येक वर्ष लाभ और हानि लेखा में प्रभावित किया जाना आवश्यक था. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने पेंशन निधि, उपदान निधि तथा अक्काश नगरिकरण निधि का बीमाविक्रि मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार (भूतपूर्व बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड के देयता सहित) जो भारतीय जीवनबीमा निगम द्वारा निम्नानुसार दिए गए विवरण हैं, कोई प्रावधान नहीं दिया है:</p>	<p>टिप्पणी तथा कथित आंकड़े सही नहीं हैं.</p> <p style="text-align: right;">(रु. करोड़ों में)</p> <table border="1" data-bbox="842 1456 1418 1635"> <thead> <tr> <th>निधि का नाम</th> <th>दि. 31.03.2015</th> <th>दि.</th> <th>घाटा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पेंशन</td> <td>8588.60</td> <td>6096.30</td> <td>2492.30</td> </tr> <tr> <td>उपदान निधि</td> <td>653.38</td> <td>481.57</td> <td>171.81</td> </tr> <tr> <td>अक्काश</td> <td>272.40</td> <td>90.00</td> <td>182.40</td> </tr> </tbody> </table>	निधि का नाम	दि. 31.03.2015	दि.	घाटा	पेंशन	8588.60	6096.30	2492.30	उपदान निधि	653.38	481.57	171.81	अक्काश	272.40	90.00	182.40
निधि का नाम	दि. 31.03.2015	दि.	घाटा														
पेंशन	8588.60	6096.30	2492.30														
उपदान निधि	653.38	481.57	171.81														
अक्काश	272.40	90.00	182.40														

(रु. करोड़ों में)

अनु. क्र.	निधि का नाम	दि. 31 मार्च 2015 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसार बीमाविक देयता	दि. 31 मार्च 2015 के अनुसार निधि शेष	घाटा
1.	पेंशन निधि	8588.60	6069.30	2519.30
2.	उपचयन निधि	660.10	481.57	178.53
3.	अवकाश नगदीकरण निधि	363.05	90.00	273.05
	कुल	9611.75	6640.87	2970.88

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएँ तथा घाटा रु. 2970.88 करोड़ कम दिखाया गया. इसके परिणाम स्वरूप लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी क्र.1 (डी) पर दिये गये आंकड़ों को बदलने की आवश्यकता है.

नगदीकरण			
कुल	9514.38	6667.87	2846.51

मानक ने लाभों को चार वर्षों में वर्गीकृत किया है, जैसे कि अल्पकालिक कर्मचारियों के लाभ, रोजगारोत्तर लाभ, अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ तथा सेवा-समाप्ति पर लाभ. अतः पेंशनरों तथा वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन उपचयन तथा अवकाश नगदीकरण निधियों हेतु देयता का बीमाविक मूल्यांकन का परिकलन अलग से किया गया है. दि. 31.03.2015 को किया गया मूल्यांकन उसी तिथि के अनुसार देयता दर्शाता है न की भविष्य में देयता का. दूसरी बात रु. 2846.51 करोड़ की कुल कमी तथा रु. 2270.31 करोड़ के कुल प्रारक्षित को ध्यान में रखते हुए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस स्थिति में नहीं है कि कमी को लाभ और हानि लेखों में लिख सके तथा दि. 31.03.2015 को संचित देयता के लिए प्रावधान कर सके. अतः बीमाविक मूल्यांकन तथा उपलब्ध अधिशेष को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष इन निधियों में अंशदान किया जाता है तथा इसमें कमी को अगले कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा.

वर्तमान सेवा लागत का तात्पर्य है, कर्मचारियों द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान की गई सेवाओं से संबंधित भविष्य में दिये जानेवाले लाभों का वर्तमान मूल्य. वार्षिक अंशदान का परिकलन मूल्यांकन के बीच की अवधि में की गई सेवा (वर्तमान मूल्यांकन की तिथि से अगले मूल्यांकन की तिथि तक) का प्रक्षेपित भविष्य के वेतन को ध्यान में रखते हुए लाभों का वर्तमान मूल्य पर किया जाता है.

पेंशन देयता पुनरावर्ती स्वस की है तथा उपचयन देयता एक बारके स्वस की अर्थात् सेवा-निवृत्तिपर अथवा मृत्यु पर जो भी पहले हो. अवकाश नगदीकरण पूर्व सेवा की देयता है अर्थात् सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने तक जो भी पहले हो.

जैसे कि उपरोक्त अनुच्छेद में कथित है वर्तमान सेवा लागत का मूल्यांकन वर्तमान मूल्यांकन की तिथि से अगले मूल्यांकन की तिथि के बीच का है, अतः रु. 97.37 करोड़ (रु. 6.72 करोड़ उपचयन कि देयता और रु. 90.65 करोड़ अवकाश नगदीकरण की देयता) की वर्तमान सेवा लागत को चालू वर्ष के दौरान देयता के रूप में नहीं माना जाता. प्रचलित कार्यप्रणाली के अनुसार निधियों के निर्माण की आरंभिक अवस्था से उपचयन निधि तथा अवकाश नगदीकरण निधि को वर्तमान सेवा लागत के लिए नहीं माना जाता. वर्तमान सेवा लागत से संबंधित आवश्यक प्रकटीकरण अगले वर्ष की लेखों पर टिप्पणियों में किया जाएगा.

वर्तमान देयता और हानि को रु. 2846.51 करोड़ से कम करके नहीं बताया गया है.

ए.3 वर्तमान परिसंपत्तियाँ - ऋण और अग्रिम

विभिन्न अग्रिमों की खाता धारकों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार

विभिन्न विभागों को वित्त विभाग द्वारा मंजूर आकस्मिकता अग्रिम रु.

<p>लेखा में दर्शायी गयी रु.2.27 करोड़ के विरुद्ध रु. 0.58 करोड़ की अग्रदायी रोकड़ है. इस के परिणाम स्वरूप हाथ में रोकड़ को अधिक बताया गया तथा घाटे को रु.1.69 करोड़ से कम कर के बताया गया है.</p>	<p>2,20,21,129.00 है तथा दि. 31.03.2015 के अनुसार खाता बकतया रु. 2,20,40,087.80 है. रु. 18938.80 के अंतर का विलान किया जा रहा है.</p> <p>लेखा परीक्षा की विभिन्न अग्रदायी धारकों द्वारा लेखा परीक्षा अवधि के दौरान रु. 1.69 करोड़ तक के व्यय को उसी वर्ष में हिसाब में नहीं दिखाया गया, इस संबंध में उम्मीद टिप्पणी सही हो सकती है परंतु पिछले वर्षों में किए गए कुछ व्ययों को भी वर्तमान वर्ष के हिसाब में लिया गया होगा. यह एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः वर्ष के दौरान व्यय की कम अथवा अतिरिक्तता की सही राशि की पहचान कर पाना कठिन है. प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में, विभिन्न प्रक्रियाओं का समावेश है जैसे बिलों का अधिग्रहण, वाउचरों को तैयार करना, वाउचरों की लेखा परीक्षा, वाउचरों को पारित करना तथा वाउचरों को प्राधिकृत करना आदि. अतः वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उसी वर्ष में नहीं की जा सकी, पिछले कई वर्षों से प्रक्रिया का लगातार अनुसरण किया जा रहा है.</p> <p>हाथ में रोकड़ बाकी को बढ़ा कर तथा घाटे को रु. 1.69 करोड़ कम करके नहीं बताया गया है.</p>
<p>बी. लाभ और घन लेखा</p>	
<p>बी. 1. आस्थगित कर 70.49 करोड़</p>	
<p>इसमें वर्ष 2014-15 के दौरान पोर्ट द्वारा मान्य रु.70.49 करोड़ के रूप में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का समावेश है. लेखा पध्दती मानक 22 (आय पर करों की लेखा पध्दती) के अनुसार, आस्थगित कर परिसम्पत्ति को केवल उसी हद तक मान्यता दी जाएँ जहाँ तक यथोचित निश्चितता हो जाय कि भविष्य में पर्याप्त आयकर योग्य आम उपलब्ध होगी जिससे की उगाही हो सकेगी. मानक में आगे प्रावधान दिया गया है कि निश्चितता व यथोचित स्तर सामान्यतः उद्यम के पिछले अभिलेखों का परिक्षण कर तथा भविष्य के लाभों का उचित आकलन करके हासिल किया जा सकता है.</p> <p>जैसे कि मुपोट ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक के दौरान घाटा उठया है तथा महापत्तन प्रशुक्त प्राधिकरण को प्रस्तुत आय और व्यय लेखा के विवरण के अनुसार वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 कि लिए प्रक्षेपित घाटा क्रमशः रु. 416.50 करोड़ तथा रु. 435.59 करोड़ है. वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान उठये गये घाटे तथा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के प्रक्षेपित घाटे को ध्यान में रखते हुए आस्थगित कर परिसम्पत्तिया की मान्यता नियमानुसार नहीं है. इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया तथा घाटे को रु. 70.49 करोड़ कम करके बताया गया है.</p>	<p>आँकड़े सही हैं. यह सही है कि लेखा पध्दती मानक 22 अनुच्छेद 15-18 के अनुसार, आस्थगित कर को उसी हद तक मान्यता दी जाए तथा आगे ले जाया जाए जहाँ तक यथोचित सुनिश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर की उगाही हो सके (अनुच्छेद 15). आगे, अनुच्छेद - 17 के अनुसार, जहाँ उद्यम के पास अनावशोक्षित मूल्य-हास अथवा कर नियमों के अंतर्गत आगे लाया गया छनियाँ हैं, आस्थगित कर को उसी हद तक मान्यता दी जाए जहाँ तक वास्तविक सुनिश्चित होस प्रमाण संपर्पित है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध हो सकेगी जिससे निम्न ऐसे अस्थगित कर संपत्तियों की उगाही हो सके. उद्यम के पिछले अभिलेखों का परीक्षण कर तथा भविष्य के लाभों का उचित आकलन करके निश्चितता का यथोचित स्तर सामान्यतः प्राप्त किया जा सकता है (अनुच्छेद 16).</p> <p>यह भी सत्य है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है.</p> <p>आस्थगित कर की देयता का कारण मूल्य-हास की विधि में भिन्नता है. लेखा पध्दति प्रयोजन हेतु मूल्य-हास सीधी रेखा विधि प्रयोग की जाती है जबकि कर योग्य आय पर परिवर्तन करते समय हासिल मूल्यविधि (हब्ल्यूडीबी) प्रयोग की जाती है. इस अंतर को भविष्य में संतुष्ट दिया जाएगा जब लेखा पध्दती के प्रयोजन हेतु मूल्य-हास की तुलना में कर प्रयोजन हेतु मूल्य-हास कम होगा. इसके साथ ही आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन परिवर्तित घाटे के कारण बढ़ता है जो आगे ले जाया जाता है तथा आनेवाले वर्ष की आय के मुकामले निर्धारित करना होता है.</p>

	<p>राजस्व लेखों में रु. 70.49 करोड़ के आस्थगित के परिसंपत्तियों (आय) की मान्यता लेखा-पध्दति मानक 22 के प्रावधानों के अनुरूप है।</p> <p>हस्ताकी भविष्य के लिए पिछले अधिलेखों के साथ ही प्रक्षेपित वित्तीय विवरण के विश्लेषण कौसी प्रकार से यद्यपि भविष्य में कर योग्य आय की उपलब्धता का जिसके मुकाबले आस्थगित कर संपत्तियों की उगाही हो सके इसकी निश्चितता का यथोचित स्तर का कोई संकेत प्रदान नहीं करता, भविष्य में कर योग्य अधिशेष होने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पदोच्चत रूप से आवश्यक था जिसे आगे लाये गये घाटे के विरुद्ध अपतट (ओसीटी) परियोजना के प्रत्याशित फायदे तथा बीडीएलबी के विलय के सरकार की निर्णयत से समायोजित किया जा सकता है।</p> <p>उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकलना सही नहीं होगा कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के परिणामस्वरूप हानि को कम करके बताया गया तथा वर्ष के आस्थगित कर परिसंपत्तियों को रु. 70.49 करोड़ से अधिक करके बताया गया।</p>
<p>बी.2 वित्त तथा फुटकर आय</p>	
<p>बी.2.1. चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज रु. 196.77 करोड़</p> <p>इसमें चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज रूप में रु. 196.77 करोड़ का समावेश है। महापत्तने की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार विशिष्ट निधियों के लिए चिन्हित निवेशों पर अर्जित आय को संबंधित निधि के खाते में जमा किया जाना चाहिए तथा संबंधित निधि से जुड़े व्यय को संबंधित निधि के खाते के नामे लिखा जाना चाहिए जैसे कि मु.पो.ट. ने चिन्हित निधियों पर अर्जित ब्याज को लाभ तथा हानि लेखों में जमा किया चिन्हित निधियों तथा वर्ष के घाटे को रु. 196.77 करोड़ को कम करके दिखाया गया है।</p>	<p>लाभ और हानि लेखों में दर्शायी गई ब्याज रु. 196.77 करोड़ है। इसमें रु.186.42 करोड़ चिन्हित निधि पर ब्याज, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को दिये गये ऋण पर रु. 3.50 करोड़ का ब्याज तथा विभिन्न प्रयोजनों हेतु बैंकों में अल्पकालिक जमा राशि पर रु. 6.85 करोड़ की ब्याज समावेश है।</p> <p>चिन्हित निधियों के निवेशों पर अर्जित रु. 186.42 करोड़ की ब्याज लाभ और हानि लेखों में वित्त तथा फुटकर आय के अंतर्गत दर्शायी गई रु. 196.77 करोड़ की कुल ब्याज का हिस्सा है। इसलिए अन्य आय के मदों के समान कर पूर्व लाभ में यह विलीन रखा गया है तथा तब फिर कर के प्रावधानों के बाद विभिन्न निधियों में विनियोजित हो जाता है। लेखा परीक्षा में चिन्हित निधियों को आर्बाटित की जानेवाली ब्याज का परिकल्पना करते समय विचार नहीं किया गया।</p> <p>अन्य शब्दों में, प्रत्येक चिन्हित निधि पर अर्जित सकल ब्याज को मुख्य सामान्य स्रोत में लाया गया है तथा अन्य संबंधित घटकों के समायोजन के बाद, अधिशेष/घाटे को तर्क संगत तथा औचित्यपूर्ण तरीके से विनियोजित किया गया है, वर्ष 2014-2015 के लिए निधियों को कम करके नहीं बताया गया है तथा घाटा नहीं है।</p> <p>लेखा परीक्षण में देखा गया वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे (सीएफएफआर) में उल्लिखित लेखा-पध्दति निधियों से विचलन मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2002-2003 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयकर के दायरे में आया है, इस वजह से है। उन वर्षों के बजट अनुमान बताते समय उन वर्षों के वार्षिक लेखों में लेखांकन/रिपोर्टिंग के अनुसार बताई गई है। इसी प्रकार वर्ष 2014-2015 के चिन्हित निधियों पर ब्याज वर्ष 2014-2015 के सुधारित बजट अनुमान तैयार करते समय लाभ और हानि लेखों के अंतर्गत दिखाया गया है। वर्ष 2014-2015 सुधारित बजट अनुमान मंत्रालय द्वारा उन्नीस दि. 27 जनवरी 2015 की सं.पीडी-2015/3/2014-पीडी-III के अनुसार अनुमोदित है।</p>

सी.	लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	
(i)	महसूले की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार ठेके की अनुमानित राशि, जिसे पुँजीगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और उसके लिए प्रावधान नहीं है, इसे लेखों में प्रकट करना चाहिए। तथापि, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने ₹101.90 करोड़ की ठेके की अनुमानित राशि को प्रकट नहीं किया है, जिसे पुँजीगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और दि. 31 मार्च 2015 के अनुसार लेखों में प्रावधान नहीं है।	(i) आपत्ति को नोट किया गया है तथा अगले वर्ष के लेखों में आवश्यक नोट लिये जाएँगे।
(ii)	सेवा कर आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 के माँग किए गये ₹. 14.51 करोड़ के सेवा कर को भी प्रासंगिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।	(ii) यह देखा गया था कि अवधि (अक्टूबर 2007 से जनवरी 2013 तक) का सेवा कर ₹. 17.78 करोड़ बनता है, जिसमें से जुलाई 2012 से जुलाई 2013 तक की अवधि का ₹. 3.27 करोड़ सेवा कर प्राधिकारियों को दि. 30.03.2015 के चालान संख्या 92767 द्वारा अदा किया गया है। अतः अक्टूबर 2007 से जून 2012 तक की अवधि की वास्तविक देयता ₹. 14.51 करोड़ बनती है। उस समय प्रचलित सेवा कर प्रावधानों के अनुसार, यह महसूस किया गया था कि वसूली गई चुँगी पर अर्जित कमीशन, पर सेवा कर देय नहीं है जैसे कि वह सर्व-श्रेष्ठ कर्तव्यों निर्वहन में अर्जित किया जाता है, तदनुसार माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद मूल्य एवं सेवा कर अपील न्यायधिकरण, मुंबई के सम्म जून 2015 में एक अपील दायर की जिसका निर्णय आना है। नोट लिया गया, आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।
(iii)	लेखों पर टिप्पणियाँ कि टिप्पणि क्र. XIV के संदर्भ पर ध्यानान्वेषित किया जाता है जिसमें ऐसा घोषित किया गया है कि दि. 31 मार्च 2015 को ₹. 3404.64 करोड़ निवेश किए गये थे जब कि दि. 31 मार्च 2015 को ₹. 2706.67 करोड़ का वास्तविक निवेश किया गया है।	(iii) टिप्पणी तथा कथित अंकित सही है, वर्ष 2014-2015 के लेखों पर टिप्पणियों को अंतिम रूप देते समय, अनुच्छेद (XIV) में दि. 31.03.2015 के अनुसार ₹. 2706.67 करोड़ के कुल निवेशों को मूल से ₹. 3404.64 करोड़ बताया गया था, लेखों पर टिप्पणियों के अनुच्छेद (XIV) में दर्शाया गया ₹. 3404.64 करोड़ का निवेश दि. 31.03.2014 के अनुसार है, वर्ष 2014-2015 के लेखों पर टिप्पणियों में आवश्यक बदलाव किया गया है।
डी.	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का लेखों पर प्रभाव:	लेखा परीक्षा के हर एक टिप्पणियों पर दि गई स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए।
	पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गयी टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियाँ ₹. 72.18 करोड़ से अधिक बतायी गईं, देयताएँ ₹. 5039.87 करोड़ से कम बतायी गईं हैं और घटा ₹. 5112.05 करोड़ से कम बताया गया है। आगे, ₹. 101.90 करोड़ की ठेकों की अनुमानित राशि को जिसे पुँजीगत लेखों में निष्पादित करना शेष है और जिसका प्रावधान नहीं है सेवा कर आयुक्त द्वारा अप्रैल 2013 में माँग किये गये ₹. 14.51 करोड़ के सेवा कर को भी प्रासंगिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।	परिसंपत्तियों को अधिक करके, देयताओं को कम करके तथा घटे को कम करके नहीं बताया गया है। ₹. 101.90 करोड़ तक की राशि प्रकट नहीं की गई है की आपत्ति नोट की गई है तथा अगले वर्ष के लेखों में आवश्यक नोट लिए जाएँगे। उपरोक्त "सी - (ii)" में कथित परिस्थियों में कोई देयता नियत नहीं की गई है, अतः आवश्यक देयता प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
(v)	पिछले परिच्छेदों में हमारी टिप्पणियों पर निर्भर करते हुए हम	

<p>रिपोर्ट करते हैं कि, इस रिपोर्ट के संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है.</p> <p>(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा पध्दति नीतियों और लेखाओं पर की गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों और उपर उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामलों तथा अनुलग्नक I में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन भारत में सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखा पध्दति सिध्दांतों के अनुसार सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.</p> <p>(ए) जहाँ तक यह 31 मार्च 2015 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कार्यों की स्थिती के तुलन-पत्र के संबंधित है, और</p> <p>(बी) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के घाटेके लाभ और हानि लेखों से संबंधित है.</p>	<p>वास्तविक प्रत्येक टिप्पणी के सामने प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अधीन.</p>
<p>3. दि. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दर्शाने वाला लेखों की पुनरीक्षा अनुलग्नक-II में दी गयी है.</p>	<p>कृपया अनुलग्नक II देखें</p>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और की ओर से

हस्ता/-

(रूप राशी)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक
लेखा परीक्षा और पदेन सदस्य
स्थान मुंबई.
दिनांक 30 सितम्बर 2015

(K.G. Nath)

Financial Advisor and
Chief Accounts Officer,
Mumbai Port Trust.
Place : Mumbai
Date : 6th October 2015.

अनुलग्नक -1	अनुलग्नक -1
<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: पोर्ट ने घोषित किया था कि आंतरिक लेखा परीक्षा को आंतरिक लेखा परीक्षा स्वयं को सौंपा गया है तथापि वर्ष 2014-15 के लिए, आंतरिक लेखा परीक्षा स्वयं द्वारा कोई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के न होने से, पोर्ट की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती.</p>	<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वित्त विभाग के पास आंतरिक लेखा परीक्षा की कुशल परिभाषित प्रणाली है. वित्त विभाग की विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रचलन तथा अनुरक्षण विभाग से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य देखा जाता है. इसकी प्रक्रिया दिशा-निर्देश शब्दाचार मैनुअलों में दिए गये हैं तथा जो हमारे इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं तथा उन्हें आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा कक्षा का सृजन किया गया है जो आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्यभार देखता है. इसके अतिरिक्त एक बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षा 'मेसर्स एम के पी एस एण्ड असोसिएट्स' को नि वित्तीय वर्ष 2015-2016 से लेखों की परीक्षा हेतु नियुक्त किया गया है. लेन-देन तथा वित्तीय निर्णय उचित रूप से स्थापित आंतरिक जांच प्रणाली तथा वित्त विभाग की विशिष्ट शाखाओं द्वारा पूर्व-लेखा परीक्षा के अधीन है और शक्तियों के प्रत्ययोजन के अनुसार महत्वपूर्ण निर्णयों और विचारों टिप्पणियों को मंडल के समक्ष रखा जाता है.</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: पोर्ट की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जैसे</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) विविध देनदारों तथा ऋणों एवं अग्रिमों की शेषराशि की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है; (ii) उपभोक्तकों से प्राप्त अग्रिम को बगैर समाधान के विविध जमा राशि के रूप में रखा जाता है; (iii) मालपत्तनों की वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे के अनुसार विविध देनदारों का अवधि-वार विश्लेषण नहीं किया गया है. (iv) आवधिक रूप से अग्रिम शेष राशियों की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नहीं है; (v) अग्रिम रोकड़ बही के सत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है; (vi) अग्रिम रोकड़ बही में पैन्सल से प्रविष्टियां की गई हैं. 	<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता उपरोक्तानुसार आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली आंतरिक जांच तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भली-भांति सुगठित है तथा कार्य की मात्रा और जटिलता के अनुरूप है. अधिकतर टिप्पणियों का संबंध बहुत पुरानी अवधियों का है तथा वार्षिक लेखों में जानकारी/विवरणों के अप्रकटन का है. कभी पर निहित टिप्पणी के अभाव में, टिप्पणी की कृपया पुनरीक्षा की जाय. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसे लगातार किया जा रहा है.</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) तथापि, कई मामले विवाद के अधीन हैं तथा प्रकरण विचाराधीन हैं. इस मामले में इन पार्टियों से बकिया शेष राशि की पुष्टि अत्यंत सख्ती बकिया शेष राशि प्राप्त करने में तकनीकी अथवा कम्प्यूटरी मसला है. (ii) जहाँ मामला विवादित है तथा प्रकरण विचाराधीन हैं उनसे प्राप्त अग्रिम को संपदा प्रबंधक के पास फुटकर जमा खाते में रखा जाता है. (iii) विविध देनदारों के अवधि-वार विवरण निवासी लेखा-परीक्षा अधिकारी को "वार्षिक लेखों के लिए लिखित विवरण" के अधीन अग्रहित किए जाते हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग के सामान्य ढाँचे (सीएफएफआर) के अनुसार विविध देनदारों की रिपोर्टिंग में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे. (iv) संबंधित विभाग प्रमुखों से अग्रिम की शेष राशियों की पुष्टि प्राप्त की जाएगी तथा उसे अगले वर्ष से लेखा परीक्षा को अग्रहित

	<p>क्रिया जाएगा.</p> <p>(v) विभागों द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करते समय अग्रदाय बिलों का सत्यापन किया जाता है.</p> <p>(vi) सभी बहीखातों को "ओरियन" संगणकीकृत प्रणाली में रखा जाता है. अतः बैलेंस द्वारा प्रविष्टियों का प्रश्न ही नहीं है. सहायक बहियों को मिश्रित तरीके से रखा जाता है जैसे कि हाथ से, संगणकीकृत आदि. टिप्पणी को नोट किया गया है तथा संबंधित विभागों/प्रभागों को आवश्यक अनुदेश दिये जायेंगे.</p>
<p>3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन पोर्ट द्वारा अपनायी गयी नीति के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन पाँच वर्षों में एक बार किया जाता था. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने सूचित किया था कि वर्ष 1969 तथा 1970 में न्यासी मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मुंबई की परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष सत्यापन पाँच वर्षों में एक बार किया जाता था तथा 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 की अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन हाथ में है. मुंबई द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है जैसे कि</p> <p>(i) वर्ष 1969 तथा 1970 में न्यासी मंडल द्वारा लिया गया निर्णय काफी पुराना तथा इसकी आवश्यकता को बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव आवश्यक है तथा</p> <p>(ii) 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2013 की अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन 2015-16 में नहीं किया जा सकता जैसे कि अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है.</p>	<p>3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन यह सत्य है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 1969 की न्या. स. सं. 797 तथा वर्ष 1970 की 71 के अनुसार पाँच वर्षों में एक बार किया जाता है. वर्ष 2009 में दि. 01.04.2003 से 31.03.2008 तक की अवधि का पिछला प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था. दि.01.04.2008 से 31.03.2013 तक की अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन हाथ में है. पूर्ण होने पर शीघ्र ही लेखा परीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.</p> <p>(i) वर्ष 1969 तथा 1970 में न्यासी मंडल द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा अचल परिसंपत्ति के आबधिक प्रत्यक्ष सत्यापन का नया प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए की जाएगी.</p> <p>(ii) पिछली किली भी अवधि का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा सकता है क्योंकि अचल संपत्ति की पंजियों में परिसंपत्तियों की खरीद, बिक्री अथवा निपटान का वर्ष-वार प्रविष्टियों होती है.</p>
<p>4. माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली वर्ष 2014-15 के लिए सभी माल सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है.</p>	<p>4. माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के संबंध में, इसे समय समय पर किया जाता है तथा शाश्वत माल-सूची प्रणाली अपनायी जाती है. माल-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की नीतियों का माल-सूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के नये प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए की जाएगी.</p>

हस्ता/-

(सी. एस. पंजर)
उप निदेशक
मुंबई.

30 सितंबर 2015

हस्ता/-

(K.G. Nath)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer

Mumbai Port Trust,

Place : Mumbai

Date : 6th October 2015.

अनुलग्नक II				अनुलग्नक II			
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा मुंबई पोर्ट के लेखों की पुनरीक्षा (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समाविष्ट लेखा परीक्षा अवलोकन/टिप्पणियों को ध्यान में न लेते हुए लेखों की पुनरीक्षा तैयार की गयी)							
1. वित्तीय स्थिति				1. वित्तीय स्थिति			
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के पिछले तीन वर्षों के लिए स्थूल शीर्षों के संबंध में पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी.				31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के पिछले तीन वर्षों के लिए स्थूल शीर्षों के संबंध में पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी.			
(₹. करोड़ों में)				(₹. करोड़ों में)			
वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
(ए) देयताएँ				(ए) देयताएँ			
(i) पूंजी प्राप्ति	1054.56	1254.75	1267.01	(i) पूंजी प्राप्ति	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) अन्य प्राप्ति	4477.03	4249.09	2327.03	(ii) अन्य प्राप्ति	4477.03	4249.09	2327.03
(iii) चालू देयताएँ और प्रावधान	4385.62	4411.82	4559.68	(iii) चालू देयताएँ और प्रावधान	4385.62	4411.82	4559.68
(iv) आस्थगित कर देयता	9.01	-74.38	-144.88	(iv) आस्थगित कर देयता	9.01	-74.38	-144.88
कुल	9926.22	9841.28	8008.84	कुल	9926.22	9841.28	8008.84
(बी) परिसंपत्तियाँ				(बी) परिसंपत्तियाँ			
(i) अचल परिसंपत्तियाँ				(i) अचल परिसंपत्तियाँ			
घटाएँ: मूल्यहास	1428.99	1483.87	1643.25	घटाएँ: मूल्यहास	1428.99	1483.87	1643.24
निवल: अचल परिसंपत्तियाँ	913.83	972.34	990.32	निवल: अचल परिसंपत्तियाँ	913.83	972.34	990.31
जोड़ें: कार्य-प्रगति पर	539.40	743.22	614.08	जोड़ें: कार्य-प्रगति पर	539.40	743.22	614.08
कुल	1054.56	1254.75	1267.01	कुल	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) निवेश	4470.78	3404.64	2706.67	(ii) निवेश	4470.78	3404.64	2706.67
(iii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	4400.88	5012.05	3805.59	(iii) वर्तमान परिसंपत्तियाँ	4400.88	5012.05	3805.59
(iv) संचित घाटा	Nil	Nil	Nil	(iv) संचित घाटा	Nil	Nil	Nil
(v) फुटकर व्यय	Nil	169.84	229.57	(v) फुटकर व्यय	Nil	169.84	229.57
(vi) आस्थगित कर संपत्ति	Nil	Nil	Nil	(vi) आस्थगित कर संपत्ति	Nil	Nil	Nil
कुल	9926.22	9841.28	8008.84	कुल	9926.22	9841.28	8008.84
सी. कार्यकारी पूंजी *	15.26	600.23	-754.09	सी. कार्यकारी पूंजी *	1226.23	1612.98	591.01
डी. निवल मूल्य **	5531.59	5503.84	3594.04	डी. निवल मूल्य **	5531.59	5333.99	3364.46
ई. नियोजित पूंजी ***	530.42	1111.76	-101.16	ई. नियोजित पूंजी ***	1741.39	2124.51	1243.94
एफ. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (%)****	-3.13	-1.28	137.75	एफ. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (%)****	-0.32	-0.36	-10.58
जी. नियोजित पूंजी (कार्य-प्रगति-पर सहित)	1069.82	1854.98	512.92	जी. नियोजित पूंजी (कार्य-प्रगति-पर सहित)	2280.79	2867.73	1858.02
एच. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य-प्रगति-पर सहित)(%)	-1.55	-0.77	-27.17				
* कार्यकारी पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ तथा							

<p>प्राक्धान बटाने पर शेष राशि दर्शाती है.</p> <p>** निवल मूल्य - पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि दर्शाती है.</p> <p>*** कार्यकारी पूंजी - निवल अचल परिसंपत्तियाँ अधिक कार्यकारी पूंजी राशि दर्शाती है.</p> <p>**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ - कुल अधिशेष से नियोजित पूंजी का प्रतिशत दर्शाता है.</p> <p>नोट: अन्य प्रारक्षित में सामान्य प्रारक्षित, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट शताब्दि संस्मरण निधि तथा विकास ऋणों की अदायगी तथा आन्तरिक व्यय की निधि पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण निधि, आग तथा मोटर बीमा निधि, यद्द स्मारक निधि तथा कर्मचारी कल्याण निधि दर्शाते हैं.</p>	<table border="1" data-bbox="823 163 1366 271"> <tr> <td>एच. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य-प्रति-पर सहित)(%)</td> <td>-0.25</td> <td>-0.27</td> <td>-7.15</td> </tr> </table> <p>* प्राक्धानों, सेवा कर, विविध देनदारों को छोड़कर कार्यकारी पूंजी चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ को घटाकर शेष राशि दर्शाती है.</p> <p>** निवल मूल्य - पूंजी प्रारक्षित तथा अन्य प्रारक्षित राशि दर्शाती है.</p> <p>*** + (उपरोक्त दर्शाये अनुसार हल होता है)</p> <p>**** (प्रतिलाभ की दर)नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष का प्रतिशत दर्शाता है.</p> <p>नोट: अन्य प्रारक्षित में सामान्य प्रारक्षित, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट शताब्दि संस्मरण निधि तथा विकास ऋणों की अदायगी तथा आन्तरिक व्यय की निधि पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण निधि, आग तथा मोटर बीमा निधि, यद्द स्मारक निधि तथा कर्मचारी कल्याण निधि दर्शाते हैं.</p>	एच. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य-प्रति-पर सहित)(%)	-0.25	-0.27	-7.15																																																																																																																				
एच. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (कार्य-प्रति-पर सहित)(%)	-0.25	-0.27	-7.15																																																																																																																						
<p>2. कार्य परिणाम</p> <p>31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार किया गया है.</p> <p style="text-align: right;">(₹. करोड़ों में)</p> <table border="1" data-bbox="231 869 788 1798"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>2012-13</th> <th>2013-14</th> <th>2014-15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ए) राजस्व</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i) परिचालन आय</td> <td>1154.44</td> <td>1304.88</td> <td>1399.78</td> </tr> <tr> <td>(ii) अपरिचालन आय</td> <td>448.40</td> <td>343.23</td> <td>226.63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1602.84</td> <td>1648.11</td> <td>1626.41</td> </tr> <tr> <td>(बी) व्यय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i) परिचालन व्यय</td> <td>945.09</td> <td>965.82</td> <td>1068.10</td> </tr> <tr> <td>(ii) अपरिचालन व्यय</td> <td>728.26</td> <td>799.07</td> <td>788.31</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1673.35</td> <td>1764.89</td> <td>1856.41</td> </tr> <tr> <td>करपूर्व लाभ</td> <td>-70.51</td> <td>-116.78</td> <td>-230</td> </tr> <tr> <td>(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा</td> <td>-16.60</td> <td>-14.19</td> <td>-139.35</td> </tr> <tr> <td>(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित</td> <td>25.96</td> <td>19.19</td> <td>15.46</td> </tr> <tr> <td>(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित</td> <td>-42.56</td> <td>-33.38</td> <td>-154.81</td> </tr> <tr> <td>(एफ) निवल अधिशेष / घाटे का प्रतिशत</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i) परिचालन आय से</td> <td>-1.44</td> <td>-1.09</td> <td>-9.96</td> </tr> <tr> <td>(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से</td> <td>-3.22</td> <td>-2.77</td> <td>-21.34</td> </tr> <tr> <td>(iii) निवल मूल्य से</td> <td>-0.30</td> <td>-0.26</td> <td>-3.88</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	(ए) राजस्व				(i) परिचालन आय	1154.44	1304.88	1399.78	(ii) अपरिचालन आय	448.40	343.23	226.63	कुल	1602.84	1648.11	1626.41	(बी) व्यय				(i) परिचालन व्यय	945.09	965.82	1068.10	(ii) अपरिचालन व्यय	728.26	799.07	788.31	कुल	1673.35	1764.89	1856.41	करपूर्व लाभ	-70.51	-116.78	-230	(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा	-16.60	-14.19	-139.35	(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित	25.96	19.19	15.46	(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित	-42.56	-33.38	-154.81	(एफ) निवल अधिशेष / घाटे का प्रतिशत				(i) परिचालन आय से	-1.44	-1.09	-9.96	(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	-3.22	-2.77	-21.34	(iii) निवल मूल्य से	-0.30	-0.26	-3.88	<p>2. कार्य परिणाम</p> <p>31 मार्च 2015 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कार्य परिणामों का सारांश निम्नानुसार किया गया है.</p> <p style="text-align: right;">(₹. करोड़ों में)</p> <table border="1" data-bbox="823 869 1366 1675"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>2012-13</th> <th>2013-14</th> <th>2014-15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ए) राजस्व</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i) परिचालन आय</td> <td>1154.44</td> <td>1304.88</td> <td>1399.78</td> </tr> <tr> <td>(ii) अपरिचालन आय</td> <td>448.40</td> <td>343.23</td> <td>226.63</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1602.84</td> <td>1648.11</td> <td>1626.41</td> </tr> <tr> <td>(बी) व्यय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(i) परिचालन व्यय</td> <td>945.09</td> <td>965.82</td> <td>1068.10</td> </tr> <tr> <td>(ii) अपरिचालन व्यय</td> <td>721.22</td> <td>793.47</td> <td>788.31</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>1666.31</td> <td>1759.29</td> <td>1856.41</td> </tr> <tr> <td>करपूर्व लाभ</td> <td>-63.47</td> <td>-111.18</td> <td>-230.00</td> </tr> <tr> <td>(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा</td> <td>-16.60</td> <td>-14.19</td> <td>-139.35</td> </tr> <tr> <td>(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित</td> <td>25.96</td> <td>19.19</td> <td>15.46</td> </tr> <tr> <td>(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित</td> <td>-42.56</td> <td>-33.38</td> <td>-154.81</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	(ए) राजस्व				(i) परिचालन आय	1154.44	1304.88	1399.78	(ii) अपरिचालन आय	448.40	343.23	226.63	कुल	1602.84	1648.11	1626.41	(बी) व्यय				(i) परिचालन व्यय	945.09	965.82	1068.10	(ii) अपरिचालन व्यय	721.22	793.47	788.31	कुल	1666.31	1759.29	1856.41	करपूर्व लाभ	-63.47	-111.18	-230.00	(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा	-16.60	-14.19	-139.35	(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित	25.96	19.19	15.46	(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित	-42.56	-33.38	-154.81
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15																																																																																																																						
(ए) राजस्व																																																																																																																									
(i) परिचालन आय	1154.44	1304.88	1399.78																																																																																																																						
(ii) अपरिचालन आय	448.40	343.23	226.63																																																																																																																						
कुल	1602.84	1648.11	1626.41																																																																																																																						
(बी) व्यय																																																																																																																									
(i) परिचालन व्यय	945.09	965.82	1068.10																																																																																																																						
(ii) अपरिचालन व्यय	728.26	799.07	788.31																																																																																																																						
कुल	1673.35	1764.89	1856.41																																																																																																																						
करपूर्व लाभ	-70.51	-116.78	-230																																																																																																																						
(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा	-16.60	-14.19	-139.35																																																																																																																						
(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित	25.96	19.19	15.46																																																																																																																						
(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित	-42.56	-33.38	-154.81																																																																																																																						
(एफ) निवल अधिशेष / घाटे का प्रतिशत																																																																																																																									
(i) परिचालन आय से	-1.44	-1.09	-9.96																																																																																																																						
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	-3.22	-2.77	-21.34																																																																																																																						
(iii) निवल मूल्य से	-0.30	-0.26	-3.88																																																																																																																						
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15																																																																																																																						
(ए) राजस्व																																																																																																																									
(i) परिचालन आय	1154.44	1304.88	1399.78																																																																																																																						
(ii) अपरिचालन आय	448.40	343.23	226.63																																																																																																																						
कुल	1602.84	1648.11	1626.41																																																																																																																						
(बी) व्यय																																																																																																																									
(i) परिचालन व्यय	945.09	965.82	1068.10																																																																																																																						
(ii) अपरिचालन व्यय	721.22	793.47	788.31																																																																																																																						
कुल	1666.31	1759.29	1856.41																																																																																																																						
करपूर्व लाभ	-63.47	-111.18	-230.00																																																																																																																						
(सी) विनियोजन से पूर्व कुल अधिशेष / घाटा	-16.60	-14.19	-139.35																																																																																																																						
(डी) घटाएँ: अनिवार्य विनियोजन - प्रारक्षित निधियों में अंतरित	25.96	19.19	15.46																																																																																																																						
(ई) निवल अधिशेष / घाटा सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित	-42.56	-33.38	-154.81																																																																																																																						

				(एक) निवल अधिशेष / घाटे का प्रतिशत			
				(i) परिचालन आय से	-1.44	-1.09	-9.96
				(ii) निवल अचल परिसंपत्तियों से	-3.22	-2.77	-21.34
				(iii) निवल मूल्य से	-0.30	-0.26	-4.14

3. अनुपात विश्लेषण (नकदी और संपन्नता)			
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की नकदी तथा संपन्नता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात तथा वित्तीय क्षमता निम्नानुसार दर्शायी गयी है.			
विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ	1.00	1.14	0.83
तत्काल परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ (तत्काल परिसंपत्तियों विविध देनदार, पोर्ट को देय ब्याज, नकदी तथा बैंक में जमा राशि दर्शायी जाती है)	0.85	0.92	1.10
विविध देनदारों से परिचालन आय	1.61	1.50	1.54
कर पूर्व कुल अधिशेष का निम्न से प्रतिशत			
(i) परिचालन आय	-6.11	-8.95	-16.43
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियाँ	-13.69	22.83	-35.23
(iii) निवल मूल्य संपत्ति	-1.27	-2.12	-6.40

3. अनुपात विश्लेषण (नकदी और संपन्नता)			
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की नकदी तथा संपन्नता के कुछ महत्वपूर्ण अनुपात तथा वित्तीय क्षमता निम्नानुसार दर्शायी गयी है.			
से अनुपात	2012-13	2013-14	2014-15
चालू परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ	1.83	1.97	1.39
तत्काल परिसंपत्तियों से चालू देयताएँ (तत्काल परिसंपत्तियों विविध देनदार, पोर्ट को देय ब्याज, नकदी तथा बैंक में जमा राशि दर्शायी जाती है)	0.59	0.66	1.19
विविध देनदारों से परिचालन आय	158.80	148.85	152.85
कर पूर्व कुल अधिशेष का निम्न से प्रतिशत			
(i) परिचालन आय	-5.50	-8.52	-16.43
(ii) निवल अचल परिसंपत्तियाँ	-12.32	-21.73	-35.22
(iii) निवल मूल्य संपत्ति	-1.15	-2.02	-6.84

हस्ता/-

(सी. एस. पंवर)
उप निदेशक
मुंबई,
30 सितंबर 2015

हस्ता/-

(K.G. Nath)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Trust,
Place : Mumbai
Date : 6th October 2015.

MUMBAI PORT TRUST

FINANCE DEPARTMENT

Action Taken Notes on the separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Mumbai Port Trust, Mumbai for the year ended 31 March 2015.

Audit Observations	Action Taken Notes
A. Balance Sheet	
A.1 Reserves and Surplus – Rs.3594.04 crore	
<p>As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, any debit balance of the Profit and Loss Account should be deducted from the unspecified reserves. In the absence of any balance in any of the unspecified reserves, such debit balance should be shown in the asset side of the Balance Sheet.</p>	<p>As per Common Framework for Financial Reporting (CFFR) for Major Ports, It is also mentioned that: Reserves are that portion of the earnings, receipts or other surplus of an enterprise (whether capital or revenue) appropriated by the management for general or specific purpose other than a provision for depreciation or diminution in the value of fixed assets or for a known liability. Reserves can broadly be classified as :</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) Capital Reserve (b) General Reserve (c) Statutory Reserve.</p> <p>The reserves are not classified as specific or unspecified in the CFFR. The purpose of Reserves may be general or specific. The very name of the Funds indicate the purpose for which they are created and the monies in the Funds can be used only for that purpose.</p>
<p>(i) The loss on merger of Ex-Bombay Dock Labour Board amounting to Rs.1758.90 crore was adjusted from Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets. This has resulted in understatement of Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets and understatement of deficit by Rs.1758.90 crore.</p>	<p>The observation is not correct. In reply to compensate the Ex-BDLB accumulated loss the Ministry of shipping vide their letter no. LB-13022/4/97-L-IV dated New Delhi the 29th May-2006, has informed that the BDLB as a statutory body, is exclusively responsible to generate its own funds by exploiting its own resources and to utilize the same within the ambit of the scheme, inter alia for payment of its debts due and owing to its workers and employees including payments of the retirement benefits to the workers and employees.</p> <p>Accordingly while preparing the Revised BE 2014-2015, MbPT has made provision to withdraw Rs. 1500.00 crore the accumulated loss of BDLB upto 31.03.2014 from the Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets (RRM). The Revised BE 2014-2015 is approved by Ministry vide No. PD-</p>

	<p>2015/3/2014-PD.III dated New Delhi, the 27th January 2015.</p> <p>Hence actual loss of Rs. 1758.90 crore as on 31.03.2014 was adjusted from fund for RRM. There was an actual gap of Rs. 2259.68 crore between fund and investment of fund for RRM. Hence no question of withdrawal/transfer of investments of Fund for RRM. The Board has approved the Annual Account 2014-2015 vide TR 14 of 30.05.2015.</p> <p>There is no understatement of Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets and understatement of deficit by Rs.1758.90 crore.</p>								
<p>(ii) Net deficit of Rs.154.81 crore was adjusted from Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies. This has resulted in understatement of Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies by Rs.154.81 crore, overstatement of General Reserve by Rs.41.49 crore and understatement of deficit by Rs.113.32 crore.</p>	<p>The observation is not correct. The very name of the Fund for DRLC indicate the purpose for which it is created and the monies in the Fund can be used only for that purpose. Fund for DRLC is meant to provide for investment required for development of port as also to provide for repayment of loans taken for capital investments and for any other contingencies. The contingencies includes deficit/loss also. As decided under TR No 33 of 1991 in addition to 3% on capital employed the equated installments of loan repayment by INPT is also being transferred to fund for DRLC from General Reserve to build up this fund to provide for future development and meeting any contingencies. Now only residual surplus is appropriated to General Reserve Fund. The same is adopted since creation of this funds. Hence there is no understatement of DRLC by Rs. 113.32 crore and overstatement of General Reserve Fund by Rs. 41.49 crore.</p>								
<p>A.2 Current Liabilities and Provisions – Rs.4559.68 crore Read with Note No. 1(d) of Notes to Accounts</p>									
<p>As per Accounting Standard 15 (Employee Benefits) where the liability for retirement benefits was funded through creation of a trust, the cost incurred for the year should be determined actuarially. The Actuary's Report specified the contribution to be made by the employer on annual basis during the valuation period. This annual contribution reported in the Actuary's Report was required to be charged to Profit and Loss Account each year. MbPT has not provided for Pension Fund, Gratuity Fund and</p>	<p>The observation and figure mentioned is not correct.</p> <p style="text-align: right;">(Rs. in Crore)</p> <table border="1" data-bbox="869 1691 1428 1960"> <thead> <tr> <th>Name of Fund</th> <th>Accrued liability as per actuarial valuation as on 31.03.2015</th> <th>Fund available as on 31.03.2015</th> <th>Deficit to be provided for in the accounts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name of Fund	Accrued liability as per actuarial valuation as on 31.03.2015	Fund available as on 31.03.2015	Deficit to be provided for in the accounts				
Name of Fund	Accrued liability as per actuarial valuation as on 31.03.2015	Fund available as on 31.03.2015	Deficit to be provided for in the accounts						

Leave Encashment Fund as per the Actuarial Valuation Report provided by the Life Insurance Corporation of India as per details given below:

Rs in crore

Sr. No.	Name of the Fund	Actuarial Liability as per LIC as on 31 March 2015	Fund Balance as on 31 March 2015	Deficit
1.	Pension Fund	8588.60	6069.30	2519.30
2.	Gratuity Fund	660.10	481.57	178.53
3.	Leave Encashment Fund	353.05	90.00	273.05
	Total	9611.75	6640.87	2970.88

This has resulted in understatement of Current Liabilities and loss by Rs.2970.88 crore. Consequently, the figures given in Note No.1 (d) of Note to Accounts required to be changed.

Pension Fund	8588.60	6096.30	2492.30
Gratuity Fund	653.38	481.57	171.81
Leave Encashment	272.40	90.00	182.40
Total	9514.38	6667.87	2846.51

The standard classified benefits into four categories, i.e. short term employees benefits, post-employment benefits, other long term employee benefits and Termination benefits. Hence the Actuarial Valuation for liability towards Pension, Gratuity and Leave Encashment funds for pensioners and existing employees are calculated separately. The valuation done as on 31.03.2015 shows the future liability and not the liability as on that date.

Secondly considering the total shortfall of Rs. 2846.51 crore and total Reserve of Rs. 2270.31 crore, the MbPT is not in position to charge the shortfall to Profit and Loss account and to provide the accrued liability as on 31.03.2015. Hence considering the actuarial valuation and surplus available every year contribution is made to these funds and shortfall will be met in the next few years.

The Current Service Cost means, it is the present value of the benefits payable to the employees in the future in respect of their services to be rendered during the current year. The annual contribution is calculated by taking the present value of benefits for the service rendered during the intervalation period (from current date of valuation to the next date of valuation) taking into account the projected future salaries.

Pension liability is of recurring nature and Gratuity Liability is of one time nature i.e. on retirement or death whichever is earlier. Leave Encashment is past service liability i.e. upto retirement or death whichever is earlier.

As mentioned in para above the valuation of current service cost is between current date of valuation to the next date of valuation, hence

	<p>the current service cost of Rs. 97.37 crore (i.e. Rs. 6.72 crore for Gratuity Liability & Rs. 90.65 crore for Leave Encashment Liability) is not considered as a liability during the current year. As per practice in vogue current service cost for Gratuity Fund and Leave Encashment Fund is not considered from the initial stage of formation of funds. The necessary disclosure regarding current service cost will be made in the notes to Accounts for next year.</p> <p>There is no understatement of Current Liability and Loss by Rs. 2846.51 crore.</p>
A.3 Current Assets, Loans and Advances	
Cash Balance on Hand – Rs.2.27 crore (Schedule V)	
<p>Imprest cash as per details furnished by different imprest account holders is Rs.0.58 crore against Rs.2.27 crore depicted in the accounts. This has resulted in overstatement of Cash in Hand and understatement of loss by Rs.1.69 crore.</p>	<p>The contingency advances sanctioned to various department by Finance Department is Rs. 2,20,21,129.00 and the ledger balance as on 31.03.2015 is Rs. 2,20,40,087.80. The difference of Rs. 18,958.80 is being reconciled.</p> <p>Audit comment regarding expenditure to the extent of Rs. 1.69 crore incurred during the accounting period by various imprest holders have not been accounted in the year itself, may be correct but some expenditure pertaining to the previous years might have been also accounted in the current year. It is continuous process, hence it is very difficult to identify the exact amount of less or excess expenditure during the year. The recoupment process includes various processes such as authentication of bills, preparation of vouchers, audit of vouchers, passing of vouchers and authorization of vouchers etc. Hence the expenditure made during the last few days of the Financial Year cannot be recouped in the same year. The process is consistently followed since last many years.</p> <p>There is no overstatement of Cash in Hand and understatement of loss by Rs.1.69 crore.</p>
B. Profit and Loss Account	
B.1 Deferred Tax – Rs.70.49 crore	
<p>This includes Rs.70.49 crore being Deferred Tax Assets recognised by the Port during 2014-15. According to Accounting Standard 22 (Accounting for Taxes on Income), deferred tax asset should be recognised only to the extent that there is</p>	<p>The figures are correct.</p> <p>It is correct that according to AS-22 para 15-18, deferred Tax should be recognized and carry forward only to the extent that there is</p>

reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which tax can be realized. The standard further provided that the reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past records of the enterprise and by making realistic estimates of the profits for the future.

As MbPT has incurred losses during 2012-13 to 2014-15 and as per the statement of Income and Expenditure Account submitted to Tariff Authority for Major Ports, the projected loss for the years 2015-16 and 2016-17 is Rs.416.50 crore and Rs.435.59 crore respectively. In view of the losses incurred during 2012-13 to 2014-15 and projected loss for the years 2015-16 and 2016-17, recognition of deferred tax asset is not in order. This has resulted in overstatement of deferred tax asset and understatement of deficit by Rs.70.49 crore.

reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax can be realized (Para-15). Further as per para-17, where an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward losses under tax laws, deferred tax should be recognized only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. The reasonable level of certainty would normally be achieved by examining the past records of the enterprise and by making realistic estimates of the profits of the future (Para-16).

It is also true that MbPT has been running an loss for the last three years.

The deferred tax liability is because of difference in the method of depreciation. For accounting purposes straight line method of depreciation is used while for purpose of computing taxable income WDV method is used. This difference will be reversed in future when depreciation for tax purpose will be lower as compared to depreciation for accounting purpose. Also the deferred tax assets arise due to loss computed under Income Tax Act, 1961 which is carried forward and to be set off against the income of the subsequent year. The recognition of Rs. 70.49 crore as deferred Tax assets (Income) in the revenue accounts was in conformity with the provisions of AS 22.

Though analysis of past records as well as projected financial statements for the future however does not provide any indication of reasonable level of certainty that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized, MbPT was reasonably certain that in future there will be taxable surplus which can be adjusted against the brought forward losses in anticipation of the returns of OCT project and funding from Government towards EX-BDLB merger.

In view above it is incorrect to conclude that recognition of deferred tax assets has resulted in understatement of loss and overstatement of deferred Tax Assets for the year to the extent of

	Rs. 70.49 crore.
B.2 Finance and Miscellaneous Income	
B.2.1 Interest earned on earmarked funds – Rs.196.77 crore	
<p>This includes Rs.196.77 crore being the interest earned on earmarked funds. As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, income accruing on investments which are earmarked against specific funds should be credited to the respective fund account and the expenditure relating to respective fund shall be debited to the respective fund account. As MbPT credited the interest earned on earmarked funds to Profit and Loss Account, the earmarked funds and deficit for the year are understated by Rs.196.77 crore.</p>	<p>The interest shown in the Profit and Loss Account is Rs. 196.77 crore. This includes Rs. 186.42 crore interest on earmarked fund, Rs. 3.50 crore interest on loan to Cochin Port and Rs. 6.85 crore interest on short term deposit with banks for various purposes.</p> <p>Interest earned on investments of earmarked funds amounting to Rs. 186.42 crore forms a part of total interest of Rs. 196.77 crore shown under the Finance & Miscellaneous Income in the Profit and Loss Account. Thus akin to other items of income it stands submerged in profit before tax and then gets appropriated to the various funds after provision for taxation. Audit has not considered impact of income tax while working out the interest to be allocated to earmarked funds.</p> <p>In other words, the gross interest earned on every earmarked fund has been brought in the common stream and after adjustment of other relevant factors, the surplus/deficit has been appropriated in the most logical and rational manner, there is no understatement of funds and deficit for the year 2014-2015.</p> <p>The deviation as observed by Audit in the accounting policies as mentioned in the CFFR is mainly due to that MBPT has come under purview of Income Tax from the Financial Year 2002-2003. While preparing the Budget Estimate from that years the accounting/reporting has been shown as mentioned in the Annual Accounts for that years. The same way interest on earmarked funds for the year 2014-2015 has been shown under Profit & Loss Account while preparing the Revised Budget Estimate 2014-2015. The Revised BE 2014-2015 is approved by Ministry vide No. PD-2015/3/2014-PD.III dated New Delhi, the 27th January 2015.</p>
C. Notes to Accounts	
(i) As per Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for should	(i) The objection is noted and necessary notes will be taken in the next year's Account.


<p>be disclosed in the accounts. However, MbPT has not disclosed Rs.101.90 crore being the estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for as on 31 March 2015 in the accounts.</p>	
<p>(ii) Service Tax of Rs.14.51 crore demanded by the Commissioner of Service Tax in April 2013 has not been disclosed as contingent liability.</p>	<p>(ii) It was observed that service tax for the period (Oct 2007 to Jan 2013) works out to Rs.17.78 crore, out of which an amount of Rs.3.27 crore has been paid to Service Tax authorities for the period from July 2012 to July 2013, vide Challan No. 92767 dated 30.03.2015. Hence, the actual liability works out to Rs.14.51 crore for the period from Oct 2007 to June 2012.</p> <p>As per the then prevailing Service Tax provisions, it was felt that Service Tax was not payable on the commission earned on Octroi collected as it is earned in discharging as sovereign functions. Accordingly, an appeal has been filed before the Hon'ble Customs Excise & Service Tax Appellate, Tribunal, Mumbai, during June-2015, decision is awaited.</p> <p>Point noted. Necessary disclosure will be made.</p>
<p>(iii) A reference is invited to Note No.XIV of Notes to Accounts wherein it is stated that the investment as on 31 March 2015 is Rs.3404.64 crore whereas the actual investment as on 31 March 2015 is Rs.2706.67 crore.</p>	<p>(iii) The observation and figure mentioned are correct. While finalizing the notes to account for the year 2014-2015, the total investments of Rs. 2706.67 crore through oversight was mentioned as Rs. 3404.64 crore as on 31.03.2015 in para (XIV). The investment of Rs. 3404.64 crore shown in the notes to accounts para (XIV) is as on 31.03.2014. The necessary change has been made in the notes to accounts for the year 2014-2015.</p>
<p>D. Effect of Audit Comments on Accounts</p>	<p>Considering the explanation given against each of the comments of the audit report.</p>
<p>The net impact of the comments given in preceding paras is that the assets are overstated by Rs.72.18 crore, liabilities are understated by Rs.5039.87 crore and deficit is understated by Rs.5112.05 crore. Further, estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for amounting to</p>	<p>There is no overstatement of assets, understatement of liabilities and understatement of deficit.</p> <p>The objection for amounting to Rs. 101.90 crore has not been disclosed is noted and necessary notes will be taken in the next year's</p>

<p>Rs.101.90 crore has not been disclosed. Service Tax of Rs.14.51 crore demanded by the Commissioner of Service Tax in April 2013 has also not been disclosed as contingent liability.</p>	<p>Account. As stated in "C-(ii)" necessary disclosure of Service Tax liability will be made.</p>
<p>(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;</p> <p>(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) In so far as it relates to Balance sheet, of the state of affairs of Mumbai Port Trust Board at 31 March 2015; and</p> <p>(b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account of the deficit for the year ended on that date.</p>	<p>Factual. Subject to clarification furnished against each observation.</p>
<p>5. A Review of Accounts showing the summarized financial results of Mumbai Port Trust for the last three years ended 31 March 2015 is given in Annexure -II.</p>	<p>Please see Annexure-II.</p>

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

Sd/-

(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai.
Place : Mumbai,
Date : 30th September 2015.




(K.G. Nath)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer,
Mumbai Port Trust.
Place : Mumbai
Date : 6th October 2015.

Annexure I	
<p>1. Adequacy of Internal Audit System It was stated by the Port that the internal audit was entrusted to the Internal Audit Wing. However, no internal audit report was submitted by the Internal Audit Wing for the year 2014-15. In the absence of any internal audit report, the adequacy of Internal Audit System in the Port cannot be commented.</p>	<p>The Finance Department has well defined system for internal audit. Various branches of the Finance Department attend to internal audit work pertaining to operating and maintenance department. The procedure / guidelines are laid down in Branch wise manuals which are also available on our intranet and the same are updated periodically. A separate internal audit cell has been created to attend specific assignments when need arises. In addition to that External Internal Auditor "M/s MKPS & Associates" have been appointed to audit the Account from the Financial Year 2015-2016. The transaction and financial decisions are subject to a well-established internal check system and pre-audit by specialized branches of Finance Department and important decisions and observation are placed before the Board as per delegation of powers.</p>
<p>2. Adequacy of Internal Control System The Internal Control System of the Port requires strengthening as</p> <p>(i) there was no system of obtaining balance confirmation in respect of Sundry Debtors and Loans and Advances;</p> <p>(ii) advance received from customers were kept as Miscellaneous Deposit without reconciliation;</p> <p>(iii) age-wise analysis of Sundry Debtors was not carried out as provided in the Common Framework of Financial Reporting for Major Ports;</p> <p>(iv) there was no system of obtaining confirmation of imprest balances periodically;</p> <p>(v) there was no system of verification of Imprest Cash Book; and</p> <p>(vi) entries in the Imprest Cash Book are made with pencil;</p>	<p>The internal check and internal control system are well streamlined and commensurate with the volume and complexity of work as stated in Internal Audit System above. Most of the observations relates to very old periods and non-disclosure of Information / details in Annual Accounts. In the absence of specific observation on deficiency, the observation may kindly be reviewed. Strengthening of internal Control System is continuous process and is being done consistently.</p> <p>(i) However, many matters are under dispute and cases are subjudice. In this case there is technical or legal issue to obtain the confirmation of outstanding balances or exact outstanding balances of these parties.</p> <p>(ii) The advances received from customers where the matter are under dispute and cases are subjudice are kept in Miscellaneous Deposit Account with Estate Manager.</p> <p>(iii) The age-wise details of sundry debtors are forwarded to RAO under "Document Statement for Annual Account". The necessary changes as per CFFR will be carried out in the Sundry Debtors reports.</p> <p>(iv) The confirmation of imprest balances will be obtained from the concerned Head of Department and the same will be forwarded to Audit from 2015-2016.</p>

	<p>(v) The Imprest Bills are verified while recouping the amount expended by the Department.</p> <p>(vi) All the ledgers are maintained in computerized system "ORION". Hence no question of making entries by pencil. Subsidiary books are maintained in mixed pattern i.e. manually, computerized etc. The observation are noted and necessary instruction will be given to all the concerned departments / divisions.</p>
<p>3. Physical Verification of Fixed Assets As per the policy followed by the Port, Physical Verification of Fixed Assets was carried out once in five years. It was stated by MbPT that physical verification of MbPT's assets was done once in five years in terms of decision taken by the Board of Trustees in 1969 and 1970 and physical verification for the period from 1 April 2008 to 31 March 2013 was in hand. The reply of MbPT is not acceptable as</p> <p>(i) the decision taken by the Board of Trustees in 1969 and 1970 was quite outdated and required to be changed to increase the periodicity and</p> <p>(ii) Physical verification for the period from 1 April 2008 to 31 March 2013 cannot be carried out 2015-16 as the period is already over.</p>	<p>It is true that the physical verification of MbPT's assets are done once in five years in term of TR 797 of 1969 and 71 of 1970. The last physical verification was carried out for the period from 01.04.2003 to 31.03.2008 in the year 2009. The physical verification for the period from 01.04.2008 to 31.03.2013 is in hand. The report will be submitted to the audit on completion shortly.</p> <p>(i) The decision taken by the Board of Trustees in 1969 and 1970 will be reviewed by submitting the new proposal for periodical physical verification of Fixed Asset.</p> <p>(ii) The physical verification can be done for any prior period because the Fixed Assets Registers are having the year-wise entries of purchases, sales or disposal of Assets.</p>
<p>4. System of Physical Verification of Inventory Physical verification of all the inventories has not been carried out for the year 2014-15.</p>	<p>In respect of physical verification of inventory, it is carried out periodically and perpetual inventory system is followed. The policies for physical verification of inventory will be reviewed by submitting the new proposal for physical verification of inventories.</p>

Sd/-

(C.S. Panwar)
Deputy Director
Place : Mumbai
Date : 30th September 2015



(K.G. Nath)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Trust,
Place : Mumbai
Date : 6th October 2015.

Annexure -II							
Review of Accounts of Mumbai Port Trust for the year ended 31 March 2015 by the Comptroller and Auditor General of India. (This Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)							
1. Financial Position Financial position of the Port Trust under the broad headings for the three years ended 31 March 2015 was as follows:				The financial position of Mumbai Port Trust under the broad heading for three years ended 31 st March 2015 is given below:			
Rs. in crore				(Rs. in Crore)			
Year	2012-13	2013-14	2014-15		2012-13	2013-14	2014-15
(A) Liabilities				(A) Liabilities			
(i) Capital Reserve	1054.56	1254.75	1267.01	(i) Capital Reserve	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) Other Reserve	4477.03	4249.09	2327.03	(ii) Other Reserve	4477.03	4249.09	2327.03
(iii) Current Liabilities and Provisions	4385.62	4411.82	4559.68	(iii) Current Liabilities and Provisions	4385.62	4411.82	4559.68
(iv) Deferred Tax Liability	9.01	-74.38	-144.88	(iv) Deferred Tax Liability	9.01	-74.38	-144.88
Total	9926.22	9841.28	8008.84	Total	9926.22	9841.28	8008.84
(B) Assets				B. Assets			
(i) Fixed Assets (Gross Block)	1428.99	1483.87	1643.25	(i) Fixed Assets	1428.99	1483.87	1643.24
Less: Depreciation	913.83	972.34	990.32	Less: Depreciation	913.83	972.34	990.31
Net Fixed Assets	515.16	511.53	652.93	Net fixed Assets	515.16	511.53	652.93
Work-in-Progress	539.40	743.22	614.08	Add: Work-in-Progress	539.40	743.22	614.08
Total	1054.56	1254.75	1267.01	Total Gross Block	1054.56	1254.75	1267.01
(ii) Investments	4470.78	3404.64	2706.67	(ii) Investments	4470.78	3404.64	2706.67
(iii) Current Assets	4400.88	5012.05	3805.59	(iii) Current Assets	4400.88	5012.05	3805.59
(iv) Accumulated Deficit	Nil	Nil	Nil	(iv) Accumulated Deficit	Nil	Nil	Nil
(v) Misc. Expenditure	Nil	169.84	229.57	(v) Misc. Expenditure	Nil	169.84	229.57
(vi) Deferred Tax Asset	Nil	Nil	Nil	(vi) Deferred Tax Asset	Nil	Nil	Nil
Total	9926.22	9841.28	8008.84	Total	9926.22	9841.28	8008.84
(C) Working Capital *	15.26	600.23	-754.09	(C) Working Capital*	1226.23	1612.98	591.01
(D) Net worth **	5531.59	5503.84	3594.04	(D) Net Worth**	5531.59	5333.99	3364.46
(E) Capital Employed***	530.42	1111.76	-101.16	(E) Capital Employed***	1741.39	2124.51	1243.94
(F) Return on Capital Employed (%) ****	-3.13	-1.28	137.75	(F) Return on Capital Employed (%)****	-0.32	-0.36	-10.68
(G) Capital Employed (including Work-in-Progress)	1069.82	1854.98	512.92	(G) Capital Employed (including Work-in-Progress)	2280.79	2867.73	1858.02
(H) Return on Capital Employed (including Work-in-Progress) (%)	-1.55	-0.77	-27.17				

* Working Capital represents Current Assets

<p>minus Current Liabilities and provisions.</p> <p>** Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves.</p> <p>*** Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital (worked out as indicated above*).</p> <p>****Return on Capital Employed percentage of Total Surplus to Capital Employed.</p> <p>Note: Other Reserve represents General Reserve, MbPT Centenary Commemoration Fund, and Fund for Development, Repayment of Loan and Contingencies, Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets, Fire and Motor Insurance Fund, War Memorial Fund and Employees Welfare Fund.</p>	<table border="1"> <tr> <td>(H)Return on Capital Employed (including Work-in-Progress) (%)</td> <td>-0.25</td> <td>-0.27</td> <td>-7.15</td> </tr> </table> <p>* Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities excluding provisions & Service Tax, Sundry Debtors.</p> <p>** Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves.</p> <p>*** Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital (Works out as indicated above*).</p> <p>**** Rate of Return represents percentage of net Surplus to Capital Employed.</p> <p><u>Note:</u> Other Reserve represents General Reserve, MbPT Centenary Commemoration Fund, and Fund for Development, Repayment of Loan and Contingencies, Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernization of Capital Assets, Fire and Motor Insurance Fund, War Memorial Fund and Employees Welfare Fund.</p>	(H)Return on Capital Employed (including Work-in-Progress) (%)	-0.25	-0.27	-7.15
(H)Return on Capital Employed (including Work-in-Progress) (%)	-0.25	-0.27	-7.15		

2. Working results

The working results of Mumbai Port Trust for the last three years ending 31 March 2015 are summarised below:

Rs. in crore			
Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
(A) Revenue			
(i) Operating Income	1154.44	1304.88	1399.78
(ii) Non-Operating Income	448.40	343.23	226.63
Total	1602.84	1648.11	1626.41
(B) Expenditure			
(i) Operating Expenditure	945.09	965.82	1068.10
(ii) Non-Operating Expenditure	728.26	799.07	788.31
Total	1673.35	1764.89	1856.41
Profit before tax	-70.51	-116.78	-230
(C) Total Surplus/Deficit before appropriation	-16.60	-14.19	-139.35
(D) Less: Mandatory appropriation transfer to Reserve Funds	25.96	19.19	15.46

The Working Results of Mumbai Port Trust for the three years ended 31st March 2015 are given below:

(Rs in crore)			
Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
(A) Revenue			
(i) Operating Income	1154.44	1304.88	1399.78
(ii) Non-operating Income	448.40	343.23	226.63
Total	1602.84	1648.11	1626.41
(B) Expenditure			
(i) Operating Expenditure	945.09	965.82	1068.10
(ii) Non-operating Expenditure	721.22	793.47	788.31
Total	1666.31	1759.29	1856.41
Profit before tax	-63.47	-111.18	-230.00
(C) Total Surplus/Deficit before appropriation	-16.60	-14.19	-139.35
(D) Less: Mandatory appropriation Transfer to Reserve Funds	25.96	19.19	15.46
(E) Net Surplus/Deficit	-42.56	-33.38	-154.81

(E) Net Surplus/Deficit transferred to General Reserve Fund	-42.56	-33.38	-154.81
(F) Percentage of Total Surplus/Deficit to:			
(i) Operating Income	-1.44	-1.09	-9.96
(ii) Net Fixed Assets	-3.22	-2.77	-21.34
(iii) Net Worth	-0.30	-0.26	-3.88

(F) Percentage of Total Surplus / Deficit			
(i) Operating Income	-1.44	-1.09	-9.96
(ii) Net Fixed Assets	-3.22	-2.77	-21.34
(iii) Net Worth	-0.30	-0.26	-4.14

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of Mumbai Port Trust are shown below:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15
Current Assets to Current Liabilities	1.00	1.14	0.83
Quick Assets to Current Liabilities (Quick Assets represent Sundry Debtors, interest due to port, cash and bank balances)	0.85	0.92	1.10
Sundry Debtors to Operating Income	1.61	1.50	1.54
Percentage of Net Deficit before tax to:			
(i) Operating Income	-6.11	-8.95	-16.43
(ii) Net Fixed Assets	-13.69	22.83	-35.23
(iii) Net Worth	-1.27	-2.12	-6.40

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of Mumbai Port Trust wherever changes are shown below:

Ratio of:	2012-13	2013-14	2014-15
Current Assets to Current Liabilities	1.83	1.97	1.39
Quick Assets (includes Sundry Debtors, accrued interest and advances, cash and bank balances minus house building advances, advances to ex-BDLB and to Cochin Port Trust) to Current Liabilities	0.59	0.66	1.19
Sundry Debtors to Operating Income	158.80	148.85	152.85
Percentage of Total Surplus before tax to:			
(i) Operating income	-5.50	-8.52	-16.43
(ii) Net fixed assets	-12.32	-21.73	-35.22
(iii) Net Worth	-1.15	-2.02	-6.84

Sd/-

(C.S. Panwar)
Deputy Director
Place : Mumbai
Date : 30th September 2015

(K.G. Nath)

Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Trust,
Place : Mumbai
Date : 6th October 2015.

